



भारत व्यावसायिक अखंडता नीति

मई 2024




इस व्यावसायिक अखंडता नीति (पॉलिसी) का अनुपालन अनिवार्य है और इसे व्यपार आचार संहिता के साथ मिलकर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। इसका पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, यहां तक कि काम से बर्खास्तगी भी हो सकती है। नीति में न्यूनतम सीमा और मानक निर्धारित किए गए हैं जो कम्पास पर लागू होते हैं। इससे किसी देश या क्षेत्र को अधिक कठोर सीमाएं और मानक लागू करने से नहीं रोका जा सकता। यदि इस नीति, स्थानीय नीति और लागू कानूनों के बीच कोई अंतर है, तो सबसे सख्त आवश्यकता लागू की जानी चाहिए। जहां कानूनी तीर पर अनुमोदन की आवश्यकता होती है और कोई कानूनी देश मौजूद नहीं है, आपको क्षेत्रीय सामान्य परामर्शदाता का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

परिचय	02
उद्देश्य और कार्यक्षेत्र	03
नियम और जिम्मेदारियाँ	03
नैतिक निर्णय-प्रक्रिया	03
तृतीय पक्ष सहभागिता	04
हितों का टकराव	06
	07
घूसखोरी और भ्रष्टाचार	80
सुविधा सेवा भुगतान उपहार और आतिथ्य दान प्रायोजन और सामुदायिक समर्थन/निवेश संभावित या वास्तविक हितों का	
टकराव यात्रा एवं व्यय	
धोखाधड़ी और चोरी	18
संपत्ति का दुरुपयोग, वित्तीय और गैर- वित्तीय रिपोर्टिंग	
प्रतिस्पर्धा कानून अनुपालन प्रतिस्पर्धियों के साथ अनुबंध और	20
व्यवस्थाएं	
प्रतिस्पर्धियों के साथ अनुचित सूचना का आदान-प्रदान व्यापार संघ या उद्योग आयोजनों में	
भागीदारी	
वर्टीकल अनुबंध प्रभुत्व का दुरुपयोग संयुक्त उपक्रम	
धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और कर की चोरी	26
अपराध की आय से निपटना कर की चोरी	
प्रतिबंध और व्यापार नियंत्रण	29
नये क्षेत्रों/नये प्रदेशों में प्रवेश करना नये तीसरे पक्ष संबंधों में प्रवेश करना मौजूदा तीसरे पक्षों पर नए प्रतिबंध/परिसंपत्ति फ्रीज	

इस नीति का अनुपालन 33

निगरानी 33



कम्पास ग्रुप ("कम्पास") व्यावसायिक अखंडता के उच्चतम मानकों को कायम रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता ने हमें वैश्विक लीडर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थान दिलाया है।

व्यावसायिक आचार संहिता, हमारा विजन, मूल्य और 5 स्वर्णिम नियम ("कम्पास के मूल्य") व्यवहार के स्पष्ट मानक निर्धारित करते हैं, जिनकी हम अपेक्षा करते हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि सभी कंपास कर्मी सहकर्मियों और कंपास के बाहर के लोगों के साथ व्यवहार करते हुए दिखाएँगे, जिनमें ग्राहक, क्लाइंट, सप्लायर, शेयरधारक और अन्य हितधारक शामिल हैं।

एक मजबूत गवर्नेंस फ़्रेमवर्क वाले लोगों के कारोबार और एक संगठन के तौर पर, हम ज़िम्मेदार नेतृत्व में विश्वास करते हैं; मानक तय करना और नैतिक व्यवहार और सत्यनिष्ठा से प्रेरित फ़्रैसलों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करना। कंपास एक ऐसे कार्यस्थल को बढ़ावा देता है जहाँ हमारे लोग और बिज़नेस पार्टनर आपस में बात कर सकते हैं और उनकी बात सुनी जाती है, और हम खुलेपन, विश्वास और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं; जिससे हमारे लोगों को सही काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ईमानदारी के साथ व्यवसाय करने से कम्पास, हमारे लोग, हमारी संपत्ति, हमारा व्यवसाय, हमारी प्रतिष्ठा और हितधारकों के साथ हमारे संबंध सुरक्षित रहते हैं।

उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

इस नीति के उद्देश्य हैं:

- प्रमुख व्यावसायिक अखंडता जोखिमों को परिभाषित करना;
- कम्पास का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारियों, ठेकेदारों और श्रमिकों के लिए कम से कम लागू व्यावसायिक अखंडता कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए सिद्धांतों और आवश्यकताओं को स्थापित करना2: और
- कम्पास के भीतर ईमानदारी, नैतिकता और अखंडता की संस्कृति को बढावा देना।

व्यावसायिक अखंडता क्या है?

व्यावसायिक अखंडता³ का मतलब है ईमानदारी से तथा मजबूत नैतिक एवं नैतिक सिद्धांतों के साथ व्यवसाय संचालित करना। व्यवहार मेंं, इसका मतलब है वह करना जो हम कहते हैं कि हम करने जा रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना और अपने कार्यों के लिए एक-दूसरे को जवाबदेह ठहराना। ईमानदारी के साथ व्यवसाय करने में हमारे कार्यों, व्यवहारों और निर्णयों के माध्यम से हमारे मुल्यों को जीना शामिल है, तथा हमेशा वही करने का चरित्र और साहस रखना जो सही है, न कि जो आसान है, भले ही हमें ऐसा न लगे कि कोई हमें देख रहा है।

कम्पास में, हम निम्नलिखित तरीकों से अपने व्यवसाय को ईमानदारी के साथ संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

- ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता से कार्य करना;
- खलेपन और विश्वास की संस्कृति को बढ़ावा देना, जहां हम एक-दूसरे का सम्मान करें और जब हमें लगे कि कुछ सही नहीं है तो हम अपनी बात कहने में सक्षम हों; तथा
- अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना और अपने निर्णयों के प्रति जवाबदेह

व्यावसायिक अखंडता हमारे सभी हितधारकों के साथ विश्वास बनाने और उसे बनाए रखने के लिए मौलिक है; जिसमें हमारे ग्राहक, क्लाइंट, व्यावसायिक साझेदार, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, वे समुदाय जिनके साथ हम काम करते हैं, सरकारें, सार्वजनिक निकाय और निर्वेशक शामिल हैं।

यह नीति किस पर लागू होती है?

यह नीति सभी "कम्पास कार्मिकों" पर लागू होती है, अर्थात् कम्पास में कार्यरत सभी निदेशक और अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार और सलाहकार तथा विश्व में कहीं भी किसी भी कम्पास व्यवसाय में कार्यरत श्रमिक, चाहे वे स्थायी हों, निश्चित अवधि के लिये हों या अस्थायी हों (व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से "आप")। यह नीति किसी भी संयुक्त उद्यम कंपनी या कंसीटिया पर भी लागू होती हैं जो कम्पास के दैनिक नियंत्रण में है या कम्पास के बहमत स्वामित्व में है।

भूमिका और जिम्मेदारियाँ

सभी कम्पास कर्मचारियों और हमारी ओर से कार्य करने वाले लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे हमारे उच्च नैतिक मानकों के राजदूत बनें और इस नीति में निर्धारित व्यावसायिक अखंडता सिद्धांतों और आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें:

2. लागू व्यापार सत्यनिष्ठा कानूनों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार, हितों का टकराव, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास या एकाधिकार-विरोधी, धोखाधड़ी, चोरी, वितीय गलतबयानी, बही-खाते और रिकॉर्ड, कर चोरी, धन शोधन, आतंक्वादी वितपोषण, आर्थिक और व्यापार प्रतिबंध, निर्यात नियंत्रण, मानवाधिकार, मानव तस्करी और आध्निक दासता शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। 3. अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे 5 स्वर्णिम नियम देखें।

- इस नीति की विषय-वस्तु को पढ़ना और समझना;
- हमारे संबंधित व्यावसार्यिक क्षेत्रों में नीति को लागू करना;
- आवश्यक नैतिकता और सत्यनिष्ठा जागरूकता प्रशिक्षण पूरा करना;
- किसी भी संभावित या वास्तविक हित संघर्ष की घोषणा और प्रबंधन करना जो हमारे निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है, या दूसरों द्वारा प्रभावित करने के बारे में सोचा जा सकता हूै;
- ग्रप अप्रवल मैनुअल ("GAM") की आवश्यकताओं का अनुपालन करना;
- जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उनके साथ इस नीति की विषय-वस्तु पर चर्चा करना और इस नीति की चिंताओं और/या उल्लंघनों के बारे में बोलने के महत्व पर बल देना;
- कम्पास की ' बोलें और सुनें' नीति के अनुरूप ऐसी चिंताओं को सुनना, चाहे वे टीम के सदस्यों, सहकर्मियों या हमारे नेताओं द्वारा व्यक्त की गई
- आवश्यकता पडने पर सदैव मार्गदर्शन मांगते रहना।

नैतिक निर्णय प्रकिया

हालांकि यह नीति व्यवसाय अखंडता के जोखिमों को कम करने और उन्हें खत्म करने से संबंधित सिद्धांत आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के साथ-साथ इन जोखिमों के कुछ सामान्य उदाहरण प्रदान करती है, फिर भी प्रत्येक स्थिति का पूर्वानुमान लगाना असंभव है जिसमें व्यवसाय अखंडता का मुद्दा उत्पन्न हो सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम् व्यवसायिक सत्यनिष्ठा के मुद्दे पर लगातार प्रतिक्रिया दें, हम सभी कम्पास कार्मिकों को इस बात पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि क्या लिया जा रहा निर्णय नैतिक, कानूनी और सही है या नहीं।

पृष्ठभूमियां, अनुभव और सांस्कृतिक अंतर निर्णय लेने और किसी खास स्थिति में करने के लिए सही या गलत चीज़ को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित पांच प्रश्न इस बारे में महत्वपूर्ण व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि कैसे निर्धारित किया जाए कि कम्पास में आपकी भूमिका के लिए कोई निर्णय या कार्रवाई आपके लिए सही है या नहीं:

- क्या यह किसी वास्तविक या संभावित हितों के टकराव से मुक्त है?
- क्या यह वैध व्यावसायिक उद्देश्य पूरा करता है?
- क्या आप मानते हैं कि यह कम्पास के मूल्यों को बनाए रखने में आपकी भूमिका और जिम्मेदारियों को दर्शाता है?
- यदि इसे सार्वजनिक कर दिया जाए (उदाहरण के लिए, समाचार पत्र या ऑनलाइन प्रकाशित कर दिया जाए) तो क्या इससे कंपास की ईमानदारी और मजबूत प्रशासन की प्रतिष्ठा बनी रहेगी?
- क्या यह हमारी व्यावसायिक आचार संहिता और 5 स्वर्णिम नियमों के अनुरूप है?

यदि आप उपरोक्त सभी प्रश्नों का उत्तर 'हां' में नहीं दे सकते हैं, या यदि आप अनिश्चित हैं कि विचाराधीन कार्रवाई या निर्णय कम्पास के मूल्यों और सिद्धांतों के विरुद्ध हो सकता है, तो मार्गदर्शन के लिए प्रबंधक, कानूनी या समूह नैतिकता और अखंडता से परामर्श करना या कुम्पास के गोपनीय रिपोर्टिंग कार्यक्रम, स्पीक अप, वी आर लिसनिंग यानी आप बोलें, हम सुन रहे हैं का उपयोग करके किसी भी चिंता की रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है।

तीसरे पक्ष की सहभागिता

तीसरे पक्ष के संबंधों का प्रबंधन जटिल हो सकता है और इसमें आमतौर पर कम्पास के परिचालन में फैले कई अलग-अलग कार्य शामिल होते हैं।

अपने तीसरे पक्ष को जानना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारे मूल्य और लक्ष्य एक साथ हों। रोकथाम और निगरानी नियंत्रण के रूप में जोखिम-आधारित उचित परिश्रम करने से कम्पास के तृतीय पक्ष जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण के भाग के रूप में एक प्रारंभिक चेतावनी या अलर्ट प्रणाली उपलब्ध होती है।

तीसरे पक्ष ग्राहक, क्लाइंट, आपूर्तिकर्ता (परामर्शदाता, सलाहकार, एजेंट, मध्यस्थ, ठेकेदार, वितरक और लॉबिस्ट सिहत, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं), वित्तीय साझेदार, संयुक्त उद्यम साझेदार, विलय, अधिग्रहण या विनिवेश लक्ष्य हो सकते हैं। इसमें वे व्यक्ति और/या संस्थाएं शामिल हैं जो सरकारी अधिकारियों, सरकारी एजेंसियों (या प्रतिनिधियों) के साथ बातचीत के संबंध में कम्पास (या कम्पास की किसी सहायक कंपनी) की ओर से बातचीत करने, प्रतिनिधित्व करने, मध्यस्थता करने, परिचय कराने या कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए हैं।

तीसरे पक्षों की कुछ श्रेणियां (जिनमें उनसे निकट रूप से जुड़े लोग जैसे कि निकटतम परिवार के सदस्य भी शामिल हैं) हमें उच्च व्यावसायिक निष्ठा जोखिमों, विशेष रूप से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के प्रति उजागर करती हैं। ये मध्यस्थ, एजेंट और सरकारी अधिकारी हैं।

 मध्यस्थ एक तीसरा पक्ष है, जो कम्पास और किसी अन्य तीसरे पक्ष के बीच बिचौलिए के रूप में कार्य करके कम्पास को उसके व्यवसाय में सहायता प्रदान करता है। वे वह माध्यम हैं जिसके माध्यम से कम्पास सामान या सेवाएं दे या प्राप्त कर सकता है। बिक्री एजेंट और सलाहकार, कस्टम ब्रोकर और एजेंट, संयुक्त उद्यम साझेदार, पेशेवर सलाहकार जैसे वकील, एकाउंटेंट या फाइनेंसर, और वितरक सभी मध्यस्थ हो सकते हैं।

 एजेंट एक विशेष प्रकार का मध्यस्थ होता है जो कम्पास की ओर से प्रतिनिधित्व करने, बातचीत करने और कार्य करने की क्षमता रखता है। जबिक मध्यस्थ कम्पास और तीसरे पक्ष के बीच व्यवसाय और संचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, एजेंटों के पास कम्पास और तीसरे पक्ष के बीच बाध्यकारी कानूनी संबंध बनाने की शक्ति होती है, जिससे कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम बढ जाता है।

सरकारी अधिकारियों में शामिल हैं:

 राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों या सरकार या स्थानीय सरकारी एजेंसी के कर्मचारी;

 किसी विनियामक प्राधिकरण, या किसी प्रशासनिक, नगरपालिका, राजकोषीय या न्यायिक निकाय, विभाग, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के कर्मचारी या अधिकारी (जब तक नियंत्रित संगठन में बहुमत सरकार के स्वामित्व में हो या सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रबंधित हो);

 संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक संगठन के कर्मचारी या अधिकारी;

 राजनेता या राजनीतिक दल के पदाधिकारी, या राजनीतिक दलों के अधिकारी या कर्मचारी, और राजनीतिक पद के सभी उम्मीदवार:

 वे व्यक्ति जो प्रथा या परंपरा द्वारा सृजित नियुक्ति, पद या स्थिति के कर्तव्यों को धारण करते हैं या निभाते हैं, जिनमें राजसी परिवारों के कुछ सदस्य, पारंपरिक अधिकारी और कुछ जनजातीय नेता शामिल हैं; तथा

 पुलिस अधिकारी या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां, सीनियर/हाई रैंकिंग वाले सैन्य कर्मी, सीमा शुल्क अधिकारी, सीमा नियंत्रण या क्राउन के एजेंट, सरकारों के विशेष सलाहकार, या व्यक्तिगत सरकारी अधिकारी, चाहे वे वेतनभोगी हों या अवैतनिक, औपचारिक हों या अनौपचारिक।

हमारी अपेक्षाएँ

- जानें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं और तीसरे-पक्ष सत्यनिष्ठा उचित परिश्रम नीति में परिभाषित व्यवसाय सत्यनिष्ठा जोखिमों के संबंध में
- अपने जोखिम का उचित मूल्यांकन करें। कम्पास की ओर से किसी तीसरे पक्ष को अनुचित लेन-देन में शामिल करने के लिए भर्ती या शामिल न करें।
- किसी तीसरे पक्ष (उदाहरण के लिए मध्यस्थ या एजेंट) को नियुक्त करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, जो कम्पास की ओर से सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने की संभावना रखता हो।
- किसी भी तीसरे पक्ष (व्यक्ति या संगठन) से संबंध न रखें जो आर्थिक प्रतिबंधों के अधीन हो।

रेड फ्लैग /चेतावनी संकेत

तीसरे पक्ष के साथ व्यवहार करते समय निम्नलिखित सामान्यतः रेड फ्लैग या चेतावनी संकेत हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है:

- तीसरे पक्ष, एजेंसी या परामर्शदाता का मुख्यालय ऐसे देश में है जो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है।
- तीसरा पक्ष कर मुक्त क्षेत्र में निगमित है⁴ और तीसरे पक्ष ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि कर- मुक्त क्षेत्र ही वह क्षेत्राधिकार है जहां उसका व्यवसाय मुख्यतः संचालित होता है।
- यह लेन-देन ऐसे देश में घटित होता है जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है।
- तीसरे पक्ष का उद्योग में कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। तीसरे पक्ष का किसी मौजूदा या पूर्व सुरकारी अधिकारी से घनिष्ठु संबंध है।
- तीसरा पक्ष या परामर्शदाता उस देश के बाहर रहता है जिसमें सेवाएं प्रदान की जानी हैं, सिवाय इसके कि इसके लिए उचित वाणिज्यिक कारण हों।
- तीसरा पक्ष या परामर्शदाता नकद भुगतान का अनुरोध करता है या उसे इसकी आवश्यकता होती है।
- तीसरा पक्ष या परामर्शदाता अनुरोध करता है कि भुगतान किसी विदेशी देश में स्थित बैंक को किया जाएँ, जो लेन-देन से सेंबंधित न हो, या अज्ञात तीसरे पक्ष को किया जाए।
- तीसरा पक्ष या परामर्शदाता एक बड़ी अग्रिम राशि या शुल्क की मांग करता है, जो प्रदान की जा रही सेवाओं के प्रकार के लिए असामान्य है।
- तीसरे पक्ष की फीस प्रदान की जा रही सेवाओं के अनुरूप नहीं है।
- तीसरा पक्ष या परामर्शदाता अन्य व्यक्तियों या पक्षों की भागीदारी पर जोर देता है जो प्रक्रिया में कोई स्पष्ट मूल्य नहीं जोड़ते हैं और/या लेनदेन में शामिल नहीं हैं।
- तीसरा पक्ष या परामर्शदाता किसी लेनदेन के संबंध में झूठे चालान या अन्य दस्तावेज तैयार करने का अनुरोध करता है।
- व्यय और/या लेखा अभिलेखों में पारदर्शिता का अभाव है।
- तीसरा पक्ष हमारी तीसरे पक्ष संबंधी उचित परिश्रम प्रक्रियाओं के प्रति असहयोगी है या उन्का प्रतिरोध क्रत्ता है और्या हमारी मानक संविदात्मक सुरक्षाओं से सहमत होने के लिए तैयार नहीं है।

आपको क्या करने की जरूरत है

- तीसरे पक्ष के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध करने से पहले, तृतीय पक्ष सत्यिनिष्ठा यथोचित परिश्रम नीति और मार्गदर्शन के अनुसार, तृतीय पक्ष सत्यनिष्ठा यथोचित परिश्रम का संचालन करना
- यह सुनिश्चित करना कि संभावित उच्च जोखिम वाले तीसरे पक्ष को नियुक्त करने से पहले समुचित जांच के परिणामस्वरूप उच्च जोखिम वाले तीसरे पक्षों के लिए कोई भी अनुमोदन आवश्यकताएं प्राप्त कर ली गई हैं। GAM के परामर्शदाता और सलाहकार अनुभाग में उल्लिखित और
- तीसरे पक्ष अखंडता उचित परिश्रम नीति और मार्गदर्शन के अनुसार लागू व्यक्तियों/संस्थाओं से तीसरे पक्ष के जोखिम मूल्यांकन को पूरा करने का अनुरोध करना ।
- यहँ सुनिश्चित करना कि मानक कानूनी व्यवसाय अखंडता संविदात्मक धाराएँ तीसरे पक्ष की संविदात्मक व्यवस्थाओं में शामिल की गई हैं।
- सरकारी अधिकारियों (या उनसे निकटता से जुड़े व्यक्तियों) के संबंध में अपने देश और क्षेत्रीय महाधिवक्ता (या प्रतिनिधि) से अनुमोदन प्राप्त
 - किसी वर्तमान या पूर्व (पदभार ग्रहण करने के 2 वर्ष के भीतर) सरकारी अधिकारी को परामर्शदाता, एजेंट या मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करना; या
 - किसी वर्तमान या पूर्व सरकारी अधिकारी को प्रबंधकीय कम्पास भूमिका में नियुक्त करना।

^{4.} जब हम टैक्स हेवन का उल्लेख करते हैं, तो हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से होता है जो कर, कॉर्पोरेट पारदर्शिता और कर दरों के मामले में असहयोगी हैं। अधिक जानकारी के लिए कर उद्देश्यों के लिए गैर-सहकारी क्षेत्राधिकारों की EU सूची देखें - <u>कंसिलियम (europa.eu)</u>

हितों का टकराव

व्यवसाय करते समय वास्तविक या संभावित हितों का टकराव उत्पन्न होना कोई असामान्य बात नहीं है। हितों का टकराव एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके व्यक्तिगत हित (या आपके किसी करीबी के हित) कम्पास के सर्वोत्तम हितों के साथ असंगत हैं या ऐसा प्रतीत होता है कि वे संगत नहीं हैं। / हितों का टकराव प्रत्यक्ष अथवा वास्तविक हो सकता है, तथा दोनों ही प्रकार से व्यवसायिक अखंडता को महत्वपूर्ण खतरा हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हितों के टकराव को पहचाना जाए, समाप्त किया जाए या कम किया जाए।

हितों के टकराव से यह जोखिम पैदा होता है कि निर्णय व्यक्तिगत हित से प्रभावित होगा। सभी कम्पास कार्मिकों को ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए जिनमें व्यक्तिगत हित कम्पास के सर्वोत्तम हितों के साथ असंगत हों या असंगत प्रतीत होते हों। यदि हितों के टकराव की स्थिति से बचना संभव नहीं है, और/या आपको वास्तविक या संभावित हितों के टकराव की जानकारी मिलती है, तो आपको तुरंत अपने प्रबंधक या इकाई प्रबंधक को सूचित करना होगा और कम्पास समूह प्रकटीकरण रजिस्टर में इसका खुलासा करना होगा।

संभावित और/या वास्तविक हितों के टकराव का खुलासा करने से ईमानदारी और खुलेपन की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

निम्नलिखित उन स्थितियों के उदाहरण हैं जो वास्तविक या कथित हितों के टकराव को जन्म दे सकती हैं, जिन्हें विभिन्न सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करके सुलझाया जा सकता है:

- किसी ऐसे व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत या वित्तीय हित होना जो कम्पास आपूर्तिकर्ता, संभावित आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, संभावित ग्राहक या प्रतिस्पर्धी हो;
- कम्पास के बाहर द्वितीयक रोजगार, चाहे वह वेतन वाला हो या स्वैच्छिक;
- अंदरूनी व्यापार;
- ऐसे व्यक्तिगत संबंध रखना जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं;
- कम्पास के प्रतिस्पर्धी या व्यावसायिक साझेदार से व्यक्तिगत भुगतान, शुल्क, छुट, उपहार और/या मनोरंजन स्वीकार करना;
- कार्यस्थल पर परिवार के सदस्य या करीबी मित्र, या इसके विपरीत, के रोजगार या रोजगार की स्थिति से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्णय लेने का अधिकार होना; तथा
- किसी उद्योग निकाय का सदस्य या कार्यकारी होना या किसी अन्य संगठन के निदेशक मंडल में सेवा करना।



इस नीति के अंतर्गत कवर किए गए व्यावसायिक अखंडता जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैं 5:

🚹 घूसखोरी और भ्रष्टाचार

5 आतंकवादी वित्तपोषण

2 धोखाधड़ी और चोरी

6 कर की चोरी

उ प्रतिस्पर्धा कानून अनुपालन

प्रतिबंध और व्यापार नियंत्रण

4 काले धन को वैध बनाना

5. मानवाधिकार हमारी मानवाधिकार नीति में शामिल है जो <u>यहां</u> उपलब्ध है

घूसखोरी और भ्रष्टाचार

रिश्वत तब मानी जाती है जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को वित्तीय या अन्य लाभ देने का वादा करता है, देता है, स्वीकार करता है या मांगता है, जिसका आशय यह है कि लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों या दायित्वों का अनुचित तरीके से पालन करेगा।

लाभ में कोई भी मूल्यवान वस्तु शामिल हो सकती है, जैसे धन, उपहार, आतिथ्य, अनुग्रह, अनुचित हस्ताक्षर बोनस या छट, दान, प्रायोजन या सामुदायिक निवेश। इसमें गैर-मौद्रिक लाभ या अवसर भी शामिल हो सकते हैं, जैसे परिवार के किसी सदस्य या करीबी दोस्त को रोजगार दिलाने का वादा करना।

भ्रष्टाचार निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति (जैसे, किसी सरकारी अधिकारी द्वारा) का दुरुपयोग है, जिसमें आमतौर पर रिश्वतखोरी शामिल होती है।

रिश्वतखोरी के सभी प्रकार व्यवसायिक निष्ठा के लिए जोखिम हैं। कम्पास कार्मिकों को उन्हें पहचानना और उचित तरीके से आगे बढाना आवश्यक है।

हमारा सिद्धांत

कंपास रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के प्रति जीरो-टॉलरेंस रखता है और कंपास कार्मिकों को किसी भी परिस्थिति में रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए।

जोखिम के क्षेत्र

- सुविधा सेवा भुगतान
- उँपहार और आतिथ्य
- दान
- स्पोंसरशिप
- सामुदायिक समर्थन/निवेश
- संभावित या वास्तविक हितों का टकराव
- यात्रा एवं व्यय
- तृतीय पक्ष सहभागिता (ऊपर तृतीय पक्ष सहभागिता अनुभाग में शामिल)

सुविधा सेवा भुगतान

जोखिम का क्षेत्र	1 घूसखोरी और भ्रष्टाचार
परिभाषा	 किसी मौजूदा कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकारी अधिकारियों को आम तौर पर किया जाने वाला धन या सामान का भुगतान , जैसे कि नियमित अप्रूवल या प्रशासनिक प्रक्रिया ।
अपेक्षा	– जब तक आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरा न हो, तब तक कभी भी सुविधा भुगतान न करें।
रेड फ्लैग/चेतावनी संकेत	 खाद्य मानक या स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिकारी द्वारा लाइसेंस या परिमट जारी करने या पुनः जारी करने के लिए नकद भुगतान या "स्वीटनर" की मांग करना। कानून प्रवर्तन अधिकारी या सुरक्षाकर्मी आपसे किसी निश्चित क्षेत्र में काम करने या किसी विशेष स्थान में प्रवेश करने की अनुमित देने के लिए शुल्क मांगते हैं। सीमा नियंत्रण पर आव्रजन अधिकारी आपको पासपोर्ट नियंत्रण से शीघ्रता से गुजरने के लिए एक छोटा सा शुल्क अदा करने के लिए कहता है।
आपको क्या करने की जरूरत है	 सुविधा भुगतान के किसी भी अनुरोध को लिखित रूप में अस्वीकार कर दें क्योंकि यह सख्त वर्जित है और रिश्वतखोरी के समान हैं। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि शुल्क अनुरोध वैध है या नहीं, तो आधिकारिक प्रकाशित शुल्क दर देखने का अनुरोध करें और रसीद मांगें। यदि आपको ऐसा भुगतान करने का अनुरोध प्राप्त होता है तो अपने देश या क्षेत्रीय महाधिवक्ता से संपर्क करें। वे ग्रुप जनरल काउंसलर एवं कंपनी सचिव तथा ग्रुप नैतिकता एवं सत्यिनष्ठा प्रमुख को सूचित करेंगे। यदि आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में है, तो भुगतान कर दें और घटना की सूचना जितना जल्दी हो सके अपने लाइन मैनेजर तथा अपने देश या क्षेत्रीय जनरल काउंसल को दें। वे ग्रुप जनरल काउंसलर एवं कंपनी सचिव तथा ग्रुप नैतिकता एवं सत्यिनष्ठा प्रमुख को सूचित करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में किए गए किसी भी सुविधा भुगतान, जहां आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में हो, को उचित सहायक दस्तावेजों और प्राधिकरणों के साथ हमारे खातों में सटीक और पारदर्शी रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि हम प्रासंगिक लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं और ऐसे भुगतानों का छिपाने से बचते हैं जो अन्य कानूनों, जैसे कि अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (FCPA) पुस्तकों और रिकॉर्ड प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं।

उपहार और आतिथ्य

जोखिम का क्षेत्र



घूसखोरी और भ्रष्टाचार

परिभाषा

- उपहार कोई भी मूल्यवान वस्तु, जिसमें कोई वस्तु, नकदी या नकदी के समान, सामान या सेवाएं शामिल हैं, जो कम्पास के बाहर किसी व्यक्ति या कंपनी को ऑफर की जाती है या दी जाती है, या उससे स्वीकार या प्राप्त की जाती है।
- **आतिथ्य से** तात्पर्य किसी भी प्रकार की यात्रा, भोजन, पेय, आवास, मनोरंजन, विपणन, सांस्कृतिक या खेल आयोजन (भाग लेना या देखना) से है, जो कम्पास के बाहर किसी व्यक्ति या कंपनी को ऑफर किया जाता है या दिया जाता है, या स्वीकार किया जाता है या प्राप्त किया जाता है।
- उपहार और आतिथ्य का उपयोग आमतौर पर सद्भावना और सम्मान के संकेत के रूप में तथा व्यापारिक साझेदारों के बीच कार्य संबंधों को मजबूत करने के लिए किया जाता है।

अपेक्षा

- कोई भी उपहार या आतिथ्य जिसे आप देना या स्वीकार करना चाहते हैं, वह वैध<u>होना चाहिए</u>, उसका **व्यावसायिक उद्देश्य** होना चाहिए, तथा वह पारदर्शी , उचित और मूल्य, प्रकृति और पैमाने में आनुपातिक होना चाहिए। यह निर्णय लेते समय इस बात पर विचार करें कि क्या उपहार या आतिथ्य की पेश्कश् या स्वीकृति से आपके व्यक्तिगत निर्णय या निष्ठा के साथ अनुबंध हो सकता है या आप पर अनुचित दायित्व आ सकता है, जैसे कि बदले में आपसे कुछ अनुचित करने की अपेक्षा करना।
- कोई भी उपहार या आतिथ्य हमेशा व्यावसायिक कारोबारी माहौल के अनुकूल होना चाँहिए और आपकी या कम्पास की प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालना चाहिए। याद रखें कि उपहार और आतिथ्य की धारणा वास्तविकता जितनी ही महत्वपूर्ण है।
- स्वीकार किए गए या दिए गए किसी भी उपहार या आतिथ्य का मूल्यांकन जांच से बचने के लिए कम करके नहीं किया जाना चाहिए।
- उपहार या आतिथ्य को <u>कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए</u> या स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, यदि उन्हें तीसरे पक्ष के निर्णय लेने या व्यावसायिक उद्देश्य को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखा जाता हो। इसमें वह स्थिति भी शामिल है जब कोई तीसरा पक्ष आपके व्यवसाय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बोली, निविदा प्रक्रिया या अनुबंध नवीनीकरण में शामिल हो या उसकी प्रत्याशा में हो। उदाहरण के लिए, किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा निवेदा प्रक्रिया के दौरान या उसके समापन पर दिया जाने वाला महंगा भोजन, किसी खेल या संगीत समारोह के लिए मुफ्त टिकट।
- अपने लिए, अपने किसी करीबी के लिए या टीम के किसी सदस्य के लिए दिए गए उपहारों और आतिथ्य का दुरुपयोग न करें। उदाहरण के लिए, कम्पास में अपने पद का उपयोग, बिना उचित अनुमोदन के, किसी पारिवारिक सदस्य या करीबी मित्र के लाभ के लिए किसी खेल या कार्यक्रम के लिए टिकट की व्यवस्था या सुविधा प्रदान करने के लिए करना।
- किसी भी भोजन या आतिथ्य समारोह में शराब का सेवन नियंत्रित होना चाहिए तथा अत्यधिक नहीं होना चाहिए।
- नकद (या नकद के समान) उपहार देना, या किसी अन्य के व्यक्तिगत बिलों या व्यय का अनुचित भुगतान करना सख्त वर्जित है। यदि आपको नकद (या नकद के समान) उपहार की पेशकश की जाती है तो अपनी कानूनी टीम के किसी सदस्य से संपर्क करें।
- किसी भी प्रमुख खेल आयोजन (जैसे, टेनिस टूर्नामेंट, विश्व कप फाइनल, ओलंपिक, F1 रेस) या सांस्कृतिक आयोजन (जैसे, संगीत समारोह, नाटक, प्रदर्शन, या शो) के लिए कभी भी निमंत्रण स्वीकार या प्रस्तुत न करें, जहां व्यक्तिगत आनंद के अलावा कोई अन्य व्यावसायिक उद्देश्य न हो।
- कोई भी उपहार या आतिथ्य जो आपको दिया जाता है, लेकिन स्वीकार नहीं किया जाता है, या जिसे अस्वीकार कर दिया जाता है, उसे कम्पास ग्रप प्रकटीकरण रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक नहीं है।

फ्लैग/चेतावनी संकेत

- किसी सरकारी अधिकारी या व्यावसायिक संपर्क के लिए विशेष अनुग्रह के रूप में या उसके अनुरोध पर, उसके साथी/जीवनसाथी या निकट पारिवारिक सदस्य के लिए दिया गया उपहार या आतिथ्य।
- आपके व्यवसाय क्षेत्र में किसी प्रतिस्पर्धी बोली, निविदा प्रक्रिया, या अनुबंध नवीनीकरण की प्रत्याशा में शामिल किसी तीसरे पक्ष को दिए गए, स्वीकार किए गए या प्राप्त किए गए उपहार और आतिथ्य।
- पक्षों के बीच वास्तविक या कथित हितों का टकराव है (उदाहरण के लिए, कम्पास कर्मचारी अपने साझेदार/जीवनसाथी, मित्र, सहयोगी, परिवार के सदस्य को उपहार या आतिथ्य प्रदान करता है या उनसे प्राप्त करता है, जो उनके व्यक्तिगत निर्णय या निष्ठा के साथ अनुबंध करने या कम्पास कर्मचारी को अनुचित दायित्व में डालने जैसा प्रतीत हो सकता है)। उपहार या आतिथ्य का आदान-प्रदान वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करने के संदर्भ में किया जाता है और वास्तव में इसे पुरस्कार (या
- प्रलोभन) माना जाता है।
- दिया गया या स्वीकार किया गया उपहार या आतिथ्य प्राधिकरण की सीमा से बाहर है या तीसरे पक्ष की नीति का उल्लंघन है।
- किसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए महंगे और अत्यधिक मांग वाले टिकट, जिसमें किसी कर्मचारों और उनर्के साथी ने भाग लिया हो, तथा जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किए गए हों, जबकि उनका कोई उचित व्यावसायिक उद्देश्य नहीं बताया गया हो।
- किसी व्यापारिक बैठक के लिए किसी तीसरे पक्ष को/द्वारा किसी भव्य. लोकप्रिय या विशिष्ट रिसॉर्ट में यात्रा और आवास की
- एक वर्ष के दौरान किसी तीसरे पक्ष को दिए गए, स्वीकार किए गए या प्राप्त किए गए अनेक उपहार और आतिथ्य।

आपको क्या करने की जरूरत है

- सुनिश्चित करें कि उपहार या आतिथ्य वैध है, उसका **व्यावसायिक उद्देश्य** है और वह पारदर्शीं, उचित है तथा मूल्य, प्रकृति और पैँमाने में आनुपातिक है।
- एक अनुमोद्रुक के रूप में, एक ही व्यक्ति/कंपनी को बार्-बार लाभ स्वीकृत करते समय ध्यान रखें।
- अनुरोधकर्ता के रूप में, किए गए व्यय, प्राप्त अनुमोदन और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड की एक कॉपी रखें।
- सरकारी अधिकारियों से जुड़े किसी भी उपहार या आतिथ्य के लिए कानूनी विभाग द्वारा **पूर्व** समीक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे रिश्वतखोरी का जोखिम बढ़ सकता है और आमतौर पर इसे मना किया जाता है। लागू देश या समूह की सीमाओं (जो भी अधिक कठोर हो) के अनुसार प्राप्त या दिए गए उपहार या आतिथ्य के लिए **पूर्व**
- अनुमोदन प्राप्त करें और उसे कम्पास समूह प्रकटीकरण रजिस्टर में दर्ज करें।⁷ यदि आप किसी उपहार या आतिथ्य की उपयुक्तता के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपको अपने लाइन मैनेजर से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए या अपने देश, क्षेत्रीय या समूह कानूनी टीम के सदस्य या समूह नैतिकता और अखंडता के सदस्य से संपर्क करना

प्रकटीकरण सीमा और अनुमोदन सीमा से संबंधित आवश्यकताओं के लिए , कृपया यहाँ परिशिष्ट A देखें

व्यावसायिक उद्देश्य में व्यावसायिक संबंधों को मुविधाजनक बनाना या निर्माण करना उदाहरण के लिए अन्य प्रमुख हितधारकों से परिचित होना किसी परियोजना की संफलता या टीम निर्माण का जश्न मनाना) स्थानीय व्यवसाय या पारंपरिक रीति-रिवाजों का सम्मान करने के लिए एक उचित और अनुपालन योग्य उपहार प्रदान करना, व्यावसायिक भागीदारों के बीच बेहतर प्रथाओं को उचित रूप से साझा करने या कम्पास सेवाओं या मूल्यों को प्रदर्शित करने या बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेटवर्किंग शामिल हो सकता है। 7. जहां उपहार या आतिथ्य प्राप्त करने या देने से पहले अपने लाइन मैनेजर से पूर्वानुमित प्राप्त करना यथोचित रूप से व्यावहारिक न हो, वहां आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उन्हें यथाशीघ परिस्थितियों से अवगत कराएं और आवश्यकतानुसार ऐसी अधिसूचना को कम्पास ग्रुप प्रकटीकरण रजिस्टर में दर्ज करें।

दान

जोखिम का क्षेत्र



🔃 घुसखोरी और भ्रष्टाचार

परिभाषा

- दान पैसे का या उसके बराबर का उपहार होता है (उदाहरण के लिए उत्पाद, सामग्री, सेवाएँ या कर्मचारियों का समय, जिसे "व्यक्तिगत" कहा जाता है), बदले में कुछ भी प्राप्त किए बिना, जिसमें किसी महत्वपूर्ण बाहरी घटना या प्राकृतिक आपदा, संभावित भौतिक व्यापार संकट या लचीलेपन की समस्या या किसी चैरिटी के लिए दिए गए उपहार शामिल हैं।
- दान एक स्वैच्छिक, गैर-लाभकारी संगठन है जो समाज के लाभ के लिए धर्मार्थ, सामाजिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए स्थापित और पंजीकृत है, जैसे गरीबी की रोकथाम या राहत, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता या सामुदायिक विकास, कला, संस्कृति, विरासत, विज्ञान या खेल को बढ़ावा देना।
- एक धर्मार्थ संगठन एक कानूनी इकाई है जो अपने संचालन के मुख्य क्षेत्राधिकार में दान प्राप्त करने में सक्षम है।
 राजनीतिक दान का अर्थ युके कंपनी अधिनियम 2006 में दिया गया है। कम्पास राजनीतिक दान नहीं करता है।
- किसी संविदात्मक वार्ता या प्रतिबद्धता (पूंजी निवेश या व्यय सिहत) के भाग के रूप में किसी ऐसे ग्राहक को किया गया भुगतान, जो न तो कोई दान संस्था है और न ही धर्मार्थ संगठन, दान नहीं है, क्योंिक वे ग्राहक के लिए समग्र वित्तीय प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्राहक की इनकम फ्लो का हिस्सा बन सकते हैं। इन परिस्थितियों में, भुगतान की उपयुक्तता की समीक्षा करने तथा प्राधिकार के प्रत्यायोजन, लेखांकन उपचार और आवश्यक रिकार्ड रखने के बारे में सलाह लेने के लिए अपने देश या क्षेत्रीय महाधिवक्ता और वित्त निदेशक से सलाह अवश्य लेनी चाहिए।

अपेक्षा

- आप जो दान देना चाहते हैं वह वैध होना चाहिए, उसका व्यावसायिक उद्देश्य होना चाहिए, वह पारदर्शी, उचित तथा मूल्य, प्रकृति और पैमाने में आनुपातिक होना चाहिए।
- दान के माध्यम से, कम्पास का लक्ष्य उन वातावरणों पर अपने प्रभाव को बेहतर बनाना है जिनमें यह काम करता है और जिन समुदायों को यह सेवाएं प्रदान करता है। इसलिए, <u>केवल</u> समूह के कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व लक्ष्यों में से एक या अधिक के समर्थन में किसी धर्मार्थ या धर्मार्थ संगठन को दान दें. जो निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित हों:
 - पर्यावरण और स्थिरता;
 - व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा;
 - स्वस्थ भोजन और पोषण शिँक्षा;
 - जन विकास और शिक्षा;
 - सामुदायिक सहभागिता और आउटरीच;
 - विविधता, समानता और समावेशन; तथा
 - जिम्मेदार व्यावसायिक अभ्यास्
- उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले किसी भी दान पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वह निम्नलिखित <u>बहिष्कृत</u> श्रेणियों में से किसी में न आता हो:
 - कोई भी इकाई जो अपने निगमन के देश में दान, धर्मार्थ संगठन या समकक्ष नहीं है;
 - कोई भी संगठन जिसका प्रमुख उद्देश्य धर्म या आस्था को बढ़ावा देना या केवल धार्मिक गतिविधियां करना है;
 - कोई भी राजनीतिक संगठन या व्यक्ति जो पार्टी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है;
 - कोई भी संगठन जिसका उद्देश्य या प्रयोजन इस नीति, समूह के कॉर्पोरेट उत्तरंदायित्व लक्ष्यों या व्यवसाय आचार संहिता के साथ असंगत हो।
- उन धर्मार्थ संस्थाओं या धर्मार्थ संगठनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो उन समुदायों में गतिविधियां या परियोजनाएं चलाते हैं जिनमें हम काम करते हैं।
- किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करने या धन हस्तांतरित करने से पहले भुगतान GAM और लागू स्थानीय प्राधिकरण के अनुसार उचित और अधिकृत होना चाहिए।
- दान का इस्तेमाल भ्रष्ट, कपटपूर्ण, या अन्य अनुचित भुगतानों को छुपाने के लिए या किसी बिज़नेस के निर्णय या संभावित भविष्य या पिछले फ़ैसलों को अनुचित तरीके से और गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए न करें।

रेड फ्लैग/ चेतावनी संकेत

- ऐसे दान-संस्थाएं जो किसी सरकारी अधिकारी से जुड़ी होती हैं, अपने प्रभाव का उपयोग करके दानकर्ता को विशेष वरीयता दे सकती हैं।
- भुगतान या व्यवस्था कम्पास के वर्तमान या संभावित विक्रेता या ग्राहक से जुड़ी हुई है। इस तरह के भुगतान, भले ही अच्छे इरादे से किए गए हों, प्रतिस्पर्धा कानून या रिश्वतखोरी कानूनों के आपराधिक उल्लंघन के व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट जोखिम को बढ़ाते हैं।
- दान से केवल उन लोगों को लाभ होता है जिनके साथ हम लेन-देन कर रहे हैं, जैसे कि कम्पास ग्राहक जो दान प्राप्त करने वाली कंपनी का मालिक या शेयरधारक भी है या जहां दान से केवल एक विशिष्ट/विशेषाधिकार प्राप्त समूह को लाभ होता है, जैसे कि एक निजी अस्पताल या निजी रूप से वित्तपोषित स्कूल।
- चैरिटी के टस्टी और बोर्ड के सदस्य राजनेता, अधिकारी और अन्य उच्च पदस्थ एवं प्रभावशाली लोग हैं।
- यह अनुरोध किसी धार्मिक संगठन से जुड़े व्यक्ति की ओर से है।
- समुदाय की किसी संस्था के बजाय किसी व्यक्ति को किया गया भुगतान।

आपको क्या करने की जरूरत है

- सुनिश्चित करें कि दान वैध हो, उसका **व्यावसायिक उद्देश्य** हो और वह पारदर्शी , उचित हो तथा मूल्य, प्रकृति और पैमाने में आनपातिक हो ।
- नृतीय-पक्ष सत्यिनिष्ठा यथोचित परिश्रम नीति और मार्गदर्शन के अनुसार, संलग्नता/भुगतान से पहले लागू प्राप्तकर्ताओं (व्यक्तियों और/या संस्थाओं) पर तृतीय-पक्ष सत्यिनिष्ठा यथोचित परिश्रम का संचालन करें, तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभािथयों और उनके संभािवत संबंधों (जैसे, सरकारी अधिकारी/राजनीितक रूप से उजागर व्यक्ति) के बारे में पूरी जानकारी है।
- किसी भी दान के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें और लागू देश या समूह सीमा (जो भी अर्धिक कठोर हों) के अनुसार कम्पास समृह प्रकटीकरण रजिस्टर में रिकॉर्ड करें।
- कम्पास ग्रुप PLC की ओर से या उसके नाम से दिए गए किसी भी दान के लिए GMK के अनुसार समूह की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- समूह की किसी भी कंपनी द्वारा किए गए किसी भी दान की सूचना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पास ग्रुप PLC मुख्यालय को दी जानी चाहिए, ताकि:
 - (क) सत्यापित करें कि इस नीति का अनुपालन किया गया है और कम्पास ग्रुप कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है: और
 - ्ख) कम्पास ग्रुप PLC को उसकी धर्मार्थ गतिविधि और खर्च की गई धनराशि की सही रिपोर्टिंग करने में सहायता करना।
- यदि आप किसी दान की उपयुक्तता के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपको अपने लाइन मैनेजर से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए या अपने देश, क्षेत्रीय या समूह कानूनी टीम के किसी सदस्य या समूह नैतिकता एवं अखंडता के किसी सदस्य से संपर्क करना चाहिए।

प्रकटीकरण सीमा और अनुमोदन सीमा से संबंधित आवश्यकताओं के लिए , कृपया यहाँपरिशिष्ट A देखें.

प्रायोजन और सामुदायिक समर्थन/निवेश

जोखिम का क्षेत्र



घूसखोरी और भ्रष्टाचार

परिभाषा

- स्पॉन्सरिशप का मतलब है कंपास को फ़ायदा मिलने की उम्मीद या अनुबंध के साथ पैसे का भुगतान, उदाहरण के लिए, प्रचार में वृद्धि, ब्रांड के प्रति जागरूकता या व्यवसाय के विकास के अवसर।
- सामुदायिक सहायता/निवेश को समुदाय के लाभ के लिए किसी भी मूल्य, नकदी या नकदी के समान वस्तु का योगदान माना जाता है, जिसमें सेवाएं, कम्पास पिरसंपत्तियां या साधन शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

अपेक्षा

- सामुदायिक सहायता/निवेश के ज़िरए, कम्पास का लक्ष्य उन वातावरणों पर इसके प्रभाव को बेहतर बनाना है, जिसमें वह काम करता है और जिन समुदायों को वह समूह के कॉर्पोरेट ज़िम्मेदारी लक्ष्यों में से एक या उससे ज़्यादा लक्ष्यों की सहायता करता है, जो इन विषयों पर केंद्रित है:
 - पर्यावरण और स्थिरता;
 - व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा;
 - स्वस्थ भोजन और पोषण शिक्षाः
 - जन विकास और शिक्षा;
 - सामुदायिक सहभागिता और आउटरीच;
 - विविधता, समानता और समावेशन; तथा
 - जिम्मेदार व्यावसायिक अभ्यास.
- स्पॉन्सरशिप या सामुदायिक सहायता/निवेश के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें और लागू देश या समूह सीमा (जो भी अधिक कठोर हो) के अनुसार कम्पास समूह प्रकटीकरण रिजस्टर में रिकॉर्ड करें।
- किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करने यां धन हस्तांतिरत करने से पहले भुगतान GAM और लागू स्थानीय प्राधिकरण के अनुसार उचित और अधिकृत होना चाहिए।
- किसी व्यावसायिक निर्णय या संभावित भविष्य या पिछले निर्णयों को अनुचित और गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए स्पॉन्सरशिप या सामुदायिक समर्थन/निवेश प्रदान न करें या जहां किसी सरकारी अधिकारी से निर्णय लिया जाना हो, जैसे लाइसेंस की स्वीकृति या किसी मृद्दे का समाधान।
- भ्रष्ट, धीखाधड़ी या अन्य अनुचित भुगतानों को छिपाने या किसी व्यावसायिक निर्णय या संभावित भविष्य या पिछले निर्णय को
- अनुचित रूपं से प्रभावित करने के लिए प्रायोजन या सामुदायिक समर्थन/निवेश का उपयोग न करें।

 राजनीतिक दलों या धार्मिक समूहों को प्रायोजन या सामुदायिक सहायता/निवेश प्रदान न करें (स्वदेशी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यक्रमों के लिए सहायता स्वीकार्य हो सकती है)।

रेड फ्लैग/ चेतावनी संकेत

- स्पॉन्सरिशप या सामुदायिक सहायता/निवेश किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके लिए प्रदान किया जाता है, जिसके हितों में वास्तविक या कथित टकराव होता है, उदाहरण के लिए, किसी परिवार के सदस्य, मित्र या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रबंधित किसी कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना।
- स्पॉन्सरिशप या सामुदायिक समर्थन/निवेश को ऐसे दस्तावेजों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित नहीं किया जाता है जो दाता,
 प्राप्तकर्ता, प्रकृति, उद्देश्य, मृल्य और अवसर की स्पष्ट पहचान करते हों।
- प्राप्तकर्ता संगठन किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी अधिकारी के रिश्तेदार द्वारा स्थापित, नियंत्रित या उसके साथ जुड़ा हुआ है।
- सामुदायिक समर्थन/निवेश का आकार या मूल्य समुदाय के लिए असंगत है: इसे अनुबंध देने के निर्णय को प्रभावित करने के रूप में देखा जा सकता है।
- यह स्विधा अनावश्यक है और समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती।
- स्पॉन्सरशिप या सामुदायिक समर्थन/निवेश के संबंध में परामर्श और पारदर्शिता का अभाव: इसे जनता द्वारा अनुचित, गलत या अनावश्यक माना जा सकता है।

आपको क्या करने की जरूरत है

- सुनिश्चित करें कि स्पॉन्सरशिप या सामुदायिक समर्थन/निवेश वैध हो, उसका व्यावसायिक उद्देश्य हो तथा वह मूल्य, प्रकृति और पैमाने में पारदर्शी, उचित और आनुपातिक हो।
- तृतीय-पक्ष सत्यिनिष्ठा यथीचित परिश्रम नीति और मार्गदर्शन के अनुसार, संलग्नता/भुगतान से पहले लागू प्राप्तकर्ताओं (व्यक्तियों और/या संस्थाओं) पर तृतीय-पक्ष सत्यिनिष्ठा यथोचित परिश्रम का संचालन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों और उनके संभावित संबंधों (जैसे, सरकारी अधिकारी/राजनीतिक रूप से उजाग्र व्यक्ति) के बारे में पूरी जानकारी है।
- और उनके संभावित संबंधों (जैसे, सरकारी अधिकारी/राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) के बारे में पूरी जानकारी है।

 स्पॉन्सरशिप या सामुदायिक सहायता/निवेश के लिए **पूर्व** अनुमोदन प्राप्त करें और लागू देश या समूह सीमा (जो भी अधिक कठोर हो) के अनुसार कम्पास समूह प्रकटीकरण रजिस्ट्र में रिकॉर्ड करें।
- कम्पास ग्रुप PLC की ओर से या उसके नाम पर किसी भी स्पॉन्सरिशप या सामुदायिक सहायता/निवेश भुगतान के लिए, जिसमें महत्वपूर्ण अप्रत्याशित बाहरी घटना या प्राकृतिक आपदा, संभावित भौतिक व्यापार संकट या कम्पास ग्रुप PLC के हित या निरीक्षण को जन्म देने वाली लचीलापन समस्या के जवाब में किए गए भुगतान शामिल हैं, GAM के अनुसार समूह की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- किसी समूह कंपनी द्वारा किए गए किसी भी स्पॉन्सरशिप या सामुदायिक समर्थन/निवेश की सूचना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पास ग्रुप PLC मुख्यालय को दी जानी चाहिए, ताकि:
 - (क) इस बात की पुष्टि प्रदान करें कि इस नीति का अनुपालन किया गया है और कम्पास ग्रुप कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है; और
 - (ख) कम्पासं ग्रुप PLC को उसके प्रायोजन और सामुदायिक निवेश गतिविधि तथा खर्च की गई धनराशि की सही रिपोर्टिंग करने में सहायता करना।
- यदि आप किसी स्पॉन्सरशिप या सामुदायिक समर्थन/निवेश की उपयुक्तता के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपको अपने लाइन मैनेजर से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए या अपने देश, क्षेत्रीय या समूह कानूनी टीम के सदस्य या समूह नैतिकता और अखंडता के सदस्य से संपर्क करना चाहिए।

प्रकटीकरण सीमा और अनुमोदन सीमा से संबंधित आवश्यकताओं के लिए , कृपया यहाँ परिशिष्ट A देखें.

संभावित या वास्तविक हितों का टकराव

जोखिम का क्षेत्र



घुसखोरी और भ्रष्टाचार

परिभाषा

ऐसी स्थिति जिसमें आपके व्यक्तिगत हित (या आपके किसी करीबी के) कम्पास के सर्वोत्तम हितों के साथ असंगत हों या असंगत प्रतीत होते हों। निम्नलिखित कारणों से **हितों का टकराव** उत्पन्न हो सकता है:

- कम्पास समूह के भीतर या बाहर संबंध जहां हमारा समूह के भीतर किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध है; या आपका या आपके किसी प्रत्यक्ष पारिवारिक सदस्य या मित्र का किसी सरकारी अधिकारी या किसी ऐसे संगठन के व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत, सामाजिक या व्यावसायिक संबंध है जो कम्पास के साथ व्यवसाय करता है या उसके साथ प्रतिस्पर्धा करता है।
- बाहरी कार्य हित जहां आप किसी तीसरे पक्ष के लिए काम करते हैं, एक द्वितीयक व्यवसाय या व्यवस्था है जो कम्पास के प्रति आपकी प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों को प्रभावित करेगी।
- निवेश और वित्तीय हित जहां आप, आपका कोई रिश्तेदार, मित्र या व्यावसायिक सहयोगी किसी कंपनी (या उससे जुड़ी कंपनियों) में नियंत्रणकारी या महत्वपूर्ण हित रखते हैं या आप उसके निदेशक, अधिकारी, ट्रस्टी हैं जो कंपास के साथ व्यापार करती है या प्रतिस्पर्धा करती है।
- पारिवारिक रिश्ते जहां हमारे परिवार का कोई सदस्य किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो कम्पास के साथ व्यापार करती है या उसके साथ प्रतिस्पर्धा करती है।

अपेक्षा

- किसी भी संभावित या वास्तविक हितों के टकराव का सक्रियतापूर्वक खुलासा करें और अपने लाइन मैनेजर के साथ स्थिति का प्रबंधन करें।
- लाइन प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पहचाने गए या संभावित व्यावसायिक अखंडता जोखिमों को कम करने के लिए उचित तरीके से आकलन करें और उचित कदम उठाएं, जिसमें हितों के टकराव की धारणा को न्यूनतम करना और ऐसे हितों के टकरावों की रिपोर्ट कानूनी या मानव संसाधन विभाग को करना शामिल है।

रेड फ्लैग/चेतावनी संकेत

- किसी ऐसी कंपनी में अंशकालिक या द्वितीयक रोजगार होना जो कम्पास के साथ प्रतिस्पर्धा करती हो, उसे सेवाएं प्रदान करती हो, या उसके साथ व्यावसायिक संबंध रखती हो।
- कम्पास आपूर्तिकर्ता या कम्पास सेवाओं का उपयोग करने वाली सरकारी संस्था के लिए काम करने वाला कोई पारिवारिक सदस्य या मित्र आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
- आपका कोई करीबी मित्र या परिवार का सदस्य आपके प्रबंधन क्षेत्र में कर्मचारी है।
- आपके द्वारा प्रबंधित कम्पास इकाई को माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनी में स्वामित्व हित होना।

आपको क्या करने की जरूरत है

- यदि आपको किसी संभावित या वास्तविक हित टकराव का पता चले तो अपने लाइन मैनेजर या यूनिट मैनेजर को तुरंत सूचित करें। इसमें वह भी शामिल है जहां आप M&A गतिविधि से संबंधित गोपनीय जानकारी के बारे में जान सकते हैं।
- कर्मचारियों और संबंधित तीसरे पक्षों को नियुक्ति से पहले किसी भी प्रकार के हितों के टकराव का खुलासा करना होगा तथा नियुक्ति के बाद कृम्पास को किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करना होगा।
- कम्पास ग्रुप प्रकटीकरण रिजस्टर में संभावित या वास्तविक हितों के टकराव को दर्ज करें।
- लाइन मैनेंजर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हितों के टकराव को सिक्रय और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक कार्य योजना मौजूद हो तथा कार्य योजना की वार्षिक समीक्षा की जाए।

यात्रा एवं व्यय

जोखिम का क्षेत्र	1 घूसखोरी और भ्रष्टाचार
परिभाषा	 यात्रा और गैर-यात्रा संबंधी व्यय , जो P-कार्ड, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य माध्यम से किसी कर्मचारी द्वारा वहन किए जा सकते हैं और व्यय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दावा किए जा सकते हैं। ऐसे व्ययों में यात्रा, मनोरंजन और अन्य व्यय शामिल हो सकते हैं जो कम्पास की ओर से व्यवसाय में लगे रहने या उसका संचालन करते समय किए गए हैं।
अपेक्षा	 कम्पास की ओर से व्यवसाय संचालित करते समय यात्रा और व्यय का वहन किया जाना चाहिए और यह परिस्थितियों के अनुरूप तथा स्थानीय नीति के अनुरूप होना चाहिए। उपस्थित सबसे वरिष्ठ कम्पास व्यक्ति को आंतरिक और/या बाह्य तृतीय पक्षों से जुड़े उपहारों और आतिथ्य से संबंधित व्यय का भुगतान करना चाहिए तथा उसकी प्रतिपूर्ति मांगनी चाहिए। इस स्थिति में, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों, किसी चालान या बिल का भुगतान किसी को नहीं सौंपा जाना चाहिए।
लाल झंडे/चेतावनी संकेत	 व्यय का भुगतान बड़ी राशि में किया गया है। व्यय दावे जिनके समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं है या अपर्याप्त है तथा उद्देश्य का स्पष्टीकरण भी नहीं है। गतिविधियों के लिए व्यय अत्यिधक प्रतीत होता है। भोजन में उपस्थित लोगों के बारे में सत्यापन का अभाव। वहां उपस्थित सबसे विरेष्ठ कम्पास प्रबंधक ने भोजन या अन्य आतिथ्य का अंतिम बिल नहीं चुकाया। इलेक्ट्रॉनिक रसीदों या चालानों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत हस्तिलिखित व्यय।
आपको क्या करने की जरूरत है	 सुनिश्चित करें कि ऐसे व्यय अत्यधिक न हों, उनका कोई वैध व्यावसायिक उद्देश्य हो तथा उनके समर्थन में पर्याप्त दस्तावेज हों। यदि आप उपस्थित सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, तो आपको भोजन या अन्य आतिथ्य का अंतिम बिल चुकाना होगा। अनुमोदन प्रक्रियाओं में कर्तव्यों का पर्याप्त पृथक्करण और वित्तीय प्राधिकार का प्रत्यायोजन बनाए रखें। यह सुनिश्चित करें कि किसी तीसरे पक्ष से संबंधित कोई भी व्यय, जो उपहार और आतिथ्य की परिभाषा के अंतर्गत आता हो और उपरोक्त उपहार और आतिथ्य नीति के अनुसार सीमाओं को पूरा करता हो, पूर्व-अनुमोदित (जहां आवश्यक हो) हो, लागू देश या समूह सीमाओं (जो भी अधिक कठोर हो) के अनुसार कम्पास समूह प्रकटीकरण रजिस्टर में दर्ज और प्रकट किया गया हो। अनुमोदक के रूप में, व्यय की उपयुक्तता और शुद्धता की समीक्षा करें।

धोखाधड़ी और चोरी

धोखाधड़ी का मतलब है झूठ बोलना (या तो आप जो करते हैं या नहीं करते हैं उसके हिंसाब से) या अपने लाभ के लिए अपने पद का अनुचित उपयोग करना। इसमें ऐसी परिस्थितियां शामिल हो सकती हैं जब कोई कर्मचारी कम्पास के खर्च पर व्यक्तिगत लाभ या फायदा प्राप्त करता है, जैसे कि कपटपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग या खर्च, किसी दस्तावेज़, खाते या सबिमशन में हेराफेरी, ग़लतफ़हमी या बदलाव, कंपास की बुक्स और रिकॉर्ड का ग़लत साबित होना।

चोरी का मतलब है उस चीज़ का निजी लाभ उठाना जो आपकी नहीं है।

धोखाधडी अक्सर कई अन्य प्रकार के वित्तीय अपराधों से जुड़ी होती है, जिनमें रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार, अंदरूनी व्यापार, धन शोधन, प्रतिबंध और कर की चोरी शामिल हैं।

हमारा सिद्धांत

कम्पास कार्मिक को जानबूझकर धोखाधड़ी या चोरी में शामिल नहीं होना चाहिए।

जोखिम के क्षेत्र

- संपत्ति का दुरुपयोग वित्तीय और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग

संपत्ति का दुरुपयोग, वित्तीय और गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग

जोखिम का क्षेत्र धोखाधड़ी और चोरी **परिसंपत्ति के दुरुपयोग** के उदाहरणों में कम्पास परिसंपत्तियों की चोरी या दुरुपयोग; कम्पास उपकरण या संसाधनों का परिभाषा व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग, जैसे कि इन्वेंट्री, उपकरण या नकदी की चोरी; गलत चालान; या अनुचित व्यय या देयताएं वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी के बीच असंगतता, आमतौर पर किसी प्रकार का अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वित्तीय विवरणों के मिथ्याकरण के रूप में। इसमें दस्तावेजों में हेराफेरी करना, राजस्व, लाभ और परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताना तथा व्यय, हानि और देनदारियों को कम बताना, लेखांकन या अन्य विनियमों या नीतियों का जानबूझकर गलत प्रयोग करना, वास्तविक तथ्य के बिना या जानबूझकर अशुद्धियों के साथ लेनदेन रिकॉर्ड करना, विक्रेता के मास्टेर डेटा विवरण या बैंक खातों में हेराफेरी करना, अमान्य या अस्तित्वहीन विक्रेता बनाना शामिल है। जानबुझकर किसी भी प्रकार की धोखाधडी न करें, उसमें भागीदार न बनें या उसमें शामिल न हों, चाहे आपको व्यक्तिगत रूप अपेक्षा से लाभ हो या न हो। सभी धोखांधड़ी या धोखांधड़ी की श्रृंखला की रिपोर्ट करें, जिसमें धोखांधड़ी करने का संदेह या प्रयास शामिल हैं, <u>बोलो और सुनो</u> नीति, जांच नीति और GAM के अनुसार⁸. धोखाधडी और चोरी की रिपोर्टिंग में वृद्धि, अपेक्षित वित्तीय हानि के मुल्य या कम्पास की संभावित प्रतिष्ठागत क्षति दोनों पॅर निर्भर करती है। कर्मचारी द्वारा आपूर्तिकर्ता(ओं)/ग्राहक(ओं) के साथ असामान्य संबंध बनाए रखना और/या विवाद का खुलासा न करना। रेड फ्लैग/ कर्मचारियों द्वारा अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना या जीवनशैली में अचानक परिवर्तन होना। चेतावनी संकेत सहकर्मी कार्य बांटने या छुट्टियाँ लेने के लिए अनिच्छुक हैं। सामान्य एवं नियमित प्रक्रियाओं का पालन न करना। असामान्यं क्रेडिट कार्ड भुगतान (जैसे, अस्पष्ट, विलंबित, बढ़ा हुआ, औचित्य का अभाव या अपर्याप्त रसीदें)। क्रय आदेश या भूगतान का विभाजन या एक विक्रेता से लगातार कम उद्धरण का उपयोग करना। तत्काल क्रय आर्देश अनुरोध या एकमुश्त विक्रेता खाते का उपयोग करने की लगातार प्रथा। अनुबंध, समझौते, क्रय आदेश और चॉलान में सेवाओं से संबंधित विवरण का अभाव। किसी भिन्न मुद्रा, स्थान या पते में भुगतान करने का अनुरोध करें। व्यय विश्लेषण या खातों/शेषों में विसंगतियां, जो अनुमानों या पूर्वानुमानों के अनुरूप नहीं हैं। नियमित व्यावसायिक जोखिम समीक्षा के भाग के रूप में धोखाधडी का आकलन करें तथा जहां प्रासंगिक हो, आवश्यक जोखिम आपको क्या करने प्रबंधन प्रतिक्रिया योजनाएं विकसित/कार्यान्वित करें। की जरूरत है धोखाधड़ी या धोखाधड़ी की श्रृंखला की रिपोर्ट करें और रिकॉर्ड करें, जिसमें धोखाधड़ी करने का संदेह या प्रयास शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक या संभावित हानि हो सकती है: – स्थानीय प्रथा और GAM अधिसूचना आवश्यकताओं के अनुसार *US\$3,000 (या स्थानीय समतुल्य)* या अधिक; – कम्पास ग्रुप के केस मैनेजमेंट सिस्टम में *US\$20,000 (या स्थानीय समतुल्य)* या अधिक निवेश करें तथा GAM⁸ अधिसूचना आवश्यकताएँ का अनुपालन सुनिश्चित करें. प्रमुख धोखाधड़ी (उदाहरण के लिए, जहां शामिल राशि **250,000 अमेरिकी डॉलर (या स्थानीय समतुल्य)** से अधिक होने की उम्मीद है या, **नुकसान के मूल्य के बावजूद**, कम्पास समूह, या एक वरिष्ठ कार्यकारी को **गंभीर प्रतिष्ठा नुकसान** हो सकता है, ग्रुप сьо, ग्रुप сьо, रीजनल мр और гр, ग्रुप डायरेक्टर ऑफ रिस्क एंड इंटरनल ऑडिट, ग्रुप जनरल काउंसिल एंड कंपनी सेक्रेंटरी और ग्रुप हेड ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और कम्पास ग्रुप के केस मैनेजमेंट सिस्टम में दुर्ज किया जाना चाहिए। जहां आवश्यक हो, जांच नीतिके अनुसार धोखाधड़ी के मामलों की जांच करें। सुनिश्चित करें कि सभी वित्तीय पुस्तकेंं और रिकॉर्ड लेनदेन और भुगतानों के औचित्य, उद्देश्य, सार और वैधता को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करते हों। ऐसे व्यय का भुगतान न करें जो अनुचित, अनधिकृत और/या पर्याप्त दस्तावेज़ों द्वारा समर्थित न हों। अनुमोदक के रूप में, यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदन से पहले लेन-देन की पर्योप्त जांच और छानबीन की गई है।

प्रतिस्पर्धा या एंटी-ट्रस्ट कानून उद्योग के भीतर और वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच निष्पक्ष और मुक्त प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है ताकि व्यवसाय समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और जीत सकें।

दुनिया के अधिकांश देशों में प्रतिस्पर्धा कानून हैं जो विनियमित करते हैं कि कम्पनियों को उन बाजारों में प्रतिस्पर्धा को समाप्त, कम या विकृत नहीं करना चाहिए जिन्में वे कारोबार करती हैं। यद्यपि लागू प्रतिस्पर्धा कानून का दायरा और विषय-वस्तु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती है, सामान्यतः प्रतिस्पर्धा कानून का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और प्रथाओं तथा प्रभुत्वशाली स्थिति या पर्याप्त बाजार शक्ति के दुरुपयोग को रोकना होता है। अधिकांश प्रतिस्पर्धा कानून राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं; जिसका अर्थ है कि घरेलू कानून संभावित रूप से राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर होने वाले आचरण पर भी लागू हो सकते हैं। इसलिए, जहां भी हम काम करते हैं; हमें नीचे दिए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना

प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के कारण कम्पास और कम्पास कार्मिकों को सिविल और आपराधिक दंड का सामना करना पड़ सकता है तथा हमारे ब्रांड और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। कम्पास को लंबी जांच का सामना करना पड़ सकता है, जिसके पुरिणामस्वरूप सिविल और आपराधिक दंड के साथ-साथ क्षतिपूर्ति का दावा भी हो सकता है, तथा व्यक्ति भी आपराधिक अपराध करने का दोषी हो सकता है।

हमारा सिद्धांत

कम्पास एक ऐसी कंपनी है जो निष्पक्ष रूप से व्यापार जीत सकती है और जीतती भी है। कम्पास के ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों का विश्वास सुरक्षित रखने के लिए प्रतिस्पर्धियों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने की कम्पास की प्रतिबद्धता को कायम रखने के लिए कम्पास कार्मिक को प्रतिस्पर्धा कानूनों - या अविश्वास कानूनों - का अनुपालन करना होगा।

जोखिम के क्षेत्र

- प्रतिस्पर्धियों के साथ समझौते और व्यवस्थाएं
- प्रतिस्पर्धियों के साथ अनुचित सूचना का आदान-प्रदान व्यापार् संघ या उद्योग आयोजनों में भागीदारी
- आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों के बीच वर्टीकल अनुबंध
- प्रभुत्वं का दुरुपयोग
- संयुक्त उपक्रम

प्रतियोगियों के साथ समझौते और व्यवस्थाएं (मौखिक समझौतों और समझ सहित)

जोखिम का क्षेत्र उ प्रतिस्पर्धा कानुन अनुपालन प्रतिस्पर्धियों के बीच अनुचित व्यवहार या समझौते (लिखित या मौखिक), जिसमें ऐसा आचरण शामिल है जिसे "कार्टेल" व्यवहार परिभाषा माना जा सकता है, जिसमें बिक्री या खरीद मूल्य ("मूल्य निर्धारण") पर सहमति या निर्धारण, बाजार में साझेदारी या ग्राहक आवंटन, बोली में हेराफेरी, क्षमता या उत्पादन को प्रतिबंधित करना, या ऐसी व्यवस्थाएं शामिल हैं जो प्रतिस्पर्धी फर्मी को बाजार या सामृहिक बहिष्कार से बाहर कर देती हैं। किसी भी समझौते की संभावना के बारे में, चाहे वह अनौपचारिक ही क्यों न हो, कानूनी मूल्यांकन और अनुमोदन के बिना, प्रतिस्पर्धी के साथ चर्चा करने और उसमें शामिल होने के संबंध में सावधानी बरती जानी चाहिए। कुम्पास सभी देशों में कार्टेल में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाता है, यहां तुकू कि उन देशों में भी जहां प्रतिस्पर्धा कानून नहीं हैं। अपेक्षा किसी प्रतिस्पर्धी के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (अनौपचारिक, अलिखित समझौते या समझ सहित) मूल्य निर्धारण, बोली में हेराफेरी, उत्पादन या क्षमता में कमी, विस्तार में देरी, सामूहिक बहिष्कार, या प्रतिस्पर्धी, ग्राहक आवंटन या बाजार में हिस्सेदारी को बाहर करने की अन्य योजनाओं से संबंधित किसी भी बातचीत या चर्चा में भाग न लें या कोई व्यवस्था न करें। किसी प्रतिस्पर्धी के साथ मृत्य, दरों या शुल्क पर चर्चा करना। रेड फ्लैग/ किसी प्रतिस्पर्धी के साथ ग्राहकों या परिचालन क्षेत्रों पर चर्चा करना। चेतावनी संकेत किसी प्रतिस्पर्धी के साथ व्यवसाय के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना, जिसमें विशिष्ट व्यावसायिक अवसरों के संबंध में बोली लगाने की मंशा भी शामिल है। कोई भी अन्य व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी साझा करना जो सार्वजनिक डोमेन में न हो, जैसे व्यवसाय लागत, लाभ मार्जिन, बिक्री मात्रा। (नीचे "अनुचित सूचना आदान-प्रदान" अनुभाग देखें।) ग्राहक सहित किसी तीसरे पक्ष द्वारा उपर्युक्त में से कोई भी कार्य करने का अनुरोध। यदि आपको कोई चिंता है कि कोई प्रतिस्पर्धी आपके साथ किसी भी प्रकार के कार्टेल आचरण पर चर्चा करने और/या सहमति आपको क्या करने बनाने का प्रयास कर रहा है, तो उसे तुरंत समाप्त कर दें, तथा ऐसे प्रस्ताव या सूचना प्राप्त करने पर अपनी आपत्ति स्पष्ट करते की जरूरत है हुए तुरंत कानूनी विभाग को सूचित करें। युदि किसी ग्राहंक ने बोली गतिविधि या अन्य प्रतिस्पर्धी आचरण या अनुबंध शर्ती के समन्वय का अनुरोध किया है तो कानूनी विभाग को तुरंत सूचित करें। हमारे प्रतिस्पर्धियों या आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित किसी भी संदिग्ध तृतीय-पक्ष कार्टेल व्यवहार के बारे में लीगल को सूचित करें। जब प्रतिस्पर्धियों के साथ किसी अनुबंध या अन्य वाणिज्यिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा हो, तो आरंभ में ही कानूनी विशेषज्ञों से आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करें। इन अनुबंधों/व्यवस्थाओं में प्रवेश करने से पहले कानूनी विभाग से अनुमोदन प्राप्त करें। प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के संदेह की रिपोर्ट देश और क्षेत्रीय जनरल काउंसलर को दें, जो आगे चलकर ग्रुप जनरल काउंसलर और कंपनी सचिव तथा ग्रुप प्रमुख (नैतिकता एवं सत्यिनिष्ठा) को सूचित करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मानते हैं कि यह आचरण लंबे समय से चला आ रहा है, या बाजार में हर कोई ऐसा करता है। आपको ऐसे किसी भी संदेह की सूचना अवश्य देनी चाहिए।

प्रतिस्पर्धियों के साथ अनुचित सूचना का आदान-प्रदान

जोखिम का क्षेत्र प्रतिस्पर्धा कानून अनुपालन प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से **गोपनीय या प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संवेदनशील जानकारी का आदान**-परिभाषा **प्रदान करना.** उदाहरण के लिए. वह जानकारी जो सार्वजनिक नहीं है और कीमतों (आपर्तिकर्ता कीमतों, ग्राहक कीमतों, छट. रियायतों सहित), हालिया वर्तमान या भविष्य के राजस्व, इकाई लागत, लाभ के स्तर, बाजार हिस्सेदारी, ग्राहक और आपर्तिकर्ता सूची, वेतन या मंजदूरी दरों, या बोली लगाने के इरादे से संबंधित है। कम्पास कार्मिक को किसी प्रतिस्पर्धी के साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संवेदनशील जानकारी का आदान-प्रदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपेक्षा रूप से नहीं करना चाहिए (उदाहरण के लिए, किसी तीसरे पक्ष, ग्राहक, उद्योग विश्लेषक, पत्रकार, व्यापार प्रकाशन या सोशल मीडिया के माध्यम से) जब तक कि यह किसी आधिकारिक संयुक्त बोली से संबंधित न हो, जिसका निपटारा कानूनी द्वारा किया यदि कोई प्रतिस्पर्धी हमारे साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संवेदनशील जानकारी साझा करने का प्रयास करता है या हमें किसी भी प्रकार की मिलीभगत में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, तो कम्पास कार्मिक को कम्पास से दूरी बनाए रखने के लिए बहुत स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए। कम्पास कार्मिकों को कभी भी प्रतिस्पर्धियों के साथ मूल्य निर्धारण पर सहमत नहीं होना चाहिए या चर्चा भी नहीं करनी चाहिए. जिसमें वह मुल्य भी शामिल है जिस पर कम्पास माल या सेवाओं को बेचता है या बेचने का इरादा रखता है, या कोई अन्य वित्तीय या गैर-वित्तीयं वाणिज्यिक रणनीतियां बनाता है किसी प्रतियोगी द्वारा अपने या कम्पास के बोली लगाने के इरादे, वाणिज्यिक मूल्य निर्धारण या गैर-सार्वजनिक वित्तीय और गैर-रेड फ्लैग/ वित्तीय रणनीतियों के संबंध में कोई भी संचार, मौखिक या लिखित। चेतावनी संकेत किसी प्रतिस्पर्धी के लिए काम करने वाला कोई उद्योग संपर्क अपनी कंपनी के बारे में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संवेदनशील जानकारी प्रदान करता है या आप दोनों को गोपनीय रूप से जानकारी साझा करने का सुझाव देता है। यह संवेदनशीलता किसी भी संदर्भ में विद्यमान रहती है, उदाहरण के लिए, चाहे वह सामाजिक समारोह हो या व्यावसायिक परिवेश। यदि आपको इस बात की चिंता है कि आपने वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील जानकारी प्राप्त की है या साझा की है या आपसे आपको क्या करने ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया है, तो कानूनी सलाह लें। की जरूरत है प्रतिस्पर्धियों के साथ कम्पास की जानकारी साझा करने से पहले कानूनी सलाह लें (यदि कानूनी पक्ष विशेष परिस्थितियों में प्रकटीकरण के लिए सहमत हो, तो भी गैर-प्रकटीकरण समझौते की आवश्यकता हो सकती है)। मूल्य निर्धारण, मात्रा या बोली लगाने के इरादे पर सार्वजनिक संचार जारी करने से पहले कानूनी सलाह लें। यंदि कोई प्रतियोगी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संवेदनशील जानकारी साझा करता है, या समन्वयंकारी व्यवहार का सुझाव देता है, तो आपको आपित करनी चाहिए, चर्चा समाप्त करनी चाहिए और घट्ना की सूचना तूरंत कानूनी विभाग को देनी चाहिए। यदि आपके साथ ईमेल द्वारा जानकारी साझा की जाती है, तो जुवाब देने के लिए कानूनी सलाह लें। आमतौर पर यह आवश्यक होगा कि आप एक उत्तर भेजें जिसमें यह रेखांकित किया जाए कि आपको वह जानकारी नहीं चाहिए थी तथा आप इससे अधिक जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं।

व्यापार संघ या उद्योग आयोजनों में भागीदारी

जोखिम का क्षेत्र



प्रतिस्पर्धा कानून अनुपालन

परिभाषा

 व्यापार संघ, उद्योग निकाय, सम्मेलन और अन्य उद्योग कार्यक्रम हमारे व्यवसाय का लाभकारी और वैध हिस्सा हो सकते हैं। हालाँकि, चूंकि कम्पास के प्रतिस्पर्धियों के भी इसमें उपस्थित रहने की संभावना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इन बैठकों में किसी भी चर्चा, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक, के संबंध में विशेष सावधानी बरती जाए।

अपेक्षा

- ऐसे आयोजनों में उपस्थिति, या उसके बाद होने वाले किसी भी सामाजिक आयोजन का उपयोग प्रतिस्पर्धियों के बीच वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील जानकारी के अनुचित या अनुपयुक्त आदान-प्रदान के लिए मंच या कवर के रूप में न करें।
- किसी व्यापार संघ में शामिल होने से पहले कानूनी मंजूरी ले लें।

रेड फ्लैग/ चेतावनी संकेत

 ऐसी चर्चाएं जो एजेंडा मदों से हट जाती हैं या गैर-सार्वजिनक या प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संवेदनशील जानकारी पर अतिक्रमण करती हैं।

आपको क्या करने की जरूरत है

- यदि आप किसी व्यापार संघ के सदस्य हैं और/या प्रतिस्पिधयों या अन्य उद्योग मंच से संबंधित किसी अनौपचारिक बैठक में भाग ले रहे हैं, तो कानूनी सलाह लें और सुनिश्चित करें कि अनुपालन प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है (उदाहरण के लिए, लिखित एजेंडा, प्रतिस्पर्धा अनुपालन अनुस्मारक और आपने जो चर्चा की उसका रिकॉर्ड)।
- यदि आप उद्योग, पर्योवरण, स्थिरता या अन्य प्रशासनिक पहलों के संबंध में प्रतिस्पर्धियों या आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग करने का इरादा रखते हैं, तो कानूनी सलाह लें, तािक यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी अनुबंध प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित या नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है।
- कम्पास ग्रप प्रकटीकरण रजिस्टर में उपस्थिति/सदस्यता भुगतान का खुलासा करें।
- प्रितस्पर्धात्मक रूप से संवेदनशील जानकारी (विशेष रूप से मार्केटिंग/उत्पादन रणनीति या व्यक्तिगत प्रितस्पर्धियों की कीमत/मात्रा और लागत डेटा) से संबंधित विषयों पर चर्चा न करें।
- सुनिश्चित करें कि कार्यक्रम में साझा की गई कोई भी जानकारी या तो सार्वजिनक हो या उसे एकत्रित कर गुमनाम कर दिया गया हो।
- यदि औपचारिक बैठक में व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी सामने आती है, या कोई प्रतियोगी व्यावसायिक रूप से संवेदनशील जानकारी साझा करता है या समन्वयकारी व्यवहार का सुझाव देता है, तो चर्चा को तुरंत समाप्त करने का प्रयास करें और यदि ऐसा नहीं होता है, तो अपनी आपत्ति और प्रस्थान को मिनटों में दर्ज करने का अनुरोध करने के बाद बैठक छोड़ दें और फिर कानूनी या नैतिकता और अखंडता को सूचित करें।
- इस सलाह का दृढ़तापूर्वक और स्पष्ट रूप से पालन करने के लिए तैयार रहें। चुपचाप भाग जाना पर्याप्त नहीं है। यदि आपको अपने साथियों या विरष्ठों के सामने इस तरह से व्यवहार करना अजीब या शर्मनाक लगता है तो चिंता न करें। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो बैठक में भाग न लें।

वर्टीकल अनुबंध

जोखिम का क्षेत्र प्रतिस्पर्धा कानून अनुपालन आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न स्तरों पर कंपनियों के बीच किए गए **वर्टीकल अनुबंध** (जैसे, एक आपूर्तिकर्ता या खाद्य उत्पादक और परिभाषा क्रयं व्यवसाय के बीच)। अधिकांश वर्टीकल अनुबंधों में ग्राहक के परिसर में खाद्य सेवाओं की विशेष आपूर्ति सहित कोई समस्या नहीं होती है। हालांकि, एक वर्टीकल अनुबंध प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन कर सकता है यदि इसका प्रभाव ग्राहकों को उत्पादों को बेचने से रोकना या प्रतिबंधित करना हो, विशेष आपूर्ति या क्रय दायित्वों को लागू करना हो, विशेष क्षेत्रों या ग्राहक समूहों को आवंटित करना हो, या न्यूनतम् या निश्चितं पुनर्विक्रयं मूल्यं लागू करना हो। हमें कानूनी मंजूरी के बिना वाणिज्यिक साझेदारों पर कोई संभावित प्रतिबंधात्मक धाराएं लागू करने का प्रयास नहीं करना अपेक्षा चाहिए। कम्पास आपूर्तिकर्ताओं के साथ विशेष आपूर्ति अनुबंध। रेड फ्लैग/ आपूर्तिकर्ता इस बात पर अड़े रहते हैं कि कम्पास उनकी अनुशंसित खुदरा कीमत को अपनाए और ऐसा न करने पर आपूर्ति चेतावनी संकेत बंद करने की धमकी देते हैं। किसी भी वर्टीकल अनुबंध में प्रवेश करने से पहले कानूनी सलाह लें। उन क्षेत्रों में विशेष रूप से सतर्क रहें जहां कम्पास को आपको क्या करने प्रमुख माना जाता है या जिसकी बाजार में मजबूत ताकते है। की जरूरत है

प्रभुत्व का दुरुपयोग

जोखिम का क्षेत्र	3 प्रतिस्पर्धा कानून अनुपालन
परिभाषा	— किसी व्यवसाय को तब प्रभावशाली माना जा सकता है, जब उसका बाजार हिस्सा लगभग 40% या उससे अधिक हो, हालांकि कुछ परिस्थितियों में 25% या उससे अधिक का बाजार हिस्सा भी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। किसी प्रभावशाली कंपनी को बहिष्कारात्मक या शोषणकारी आचरण के माध्यम से अपनी बाजार शक्ति का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है, उदाहरण के लिए, अत्यधिक, भेदभावपूर्ण या वायदा मूल्य वसूलना, अन्य वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को बांधना या बंडल करना, सौदा करने से इनकार करना, विशेष सौदे या दीर्घकालिक व्यवस्था की मांग करना।
अपेक्षा	 हमें उन बाजारों में प्रतिस्पर्धियों को बाहर करके या ग्राहकों का शोषण करके अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जहां कम्पास व्यवसाय को प्रमुख माना जा सकता है।
रेड फ्लैग/ चेतावनी संकेत	लागत से कम कीमत/छूट की पेशकश करना।अत्यधिक उच्च मूल्य निर्धारण।
आपको क्या करने की जरूरत है	 यदि कम्पास संभावित रूप से प्रभावशाली है या उसकी बाजार में मजबूत ताकत है तो कानूनी सलाह लें।

संयुक्त उपक्रम

जोखिम का क्षेत्र	3 प्रतिस्पर्धा कानून अनुपालन
परिभाषा	 संयुक्त उद्यम यानी जॉइंट वेंचर("JV") एक व्यावसायिक व्यवस्था है जिसमें दो या अधिक पक्ष किसी विशेष कार्य/उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहयोग करने के लिए सहमत होते हैं। यह कार्य कोई नई परियोजना या कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि हो सकती है। संयुक्त उद्यम कई अलग-अलग रूप ले सकते हैं।
अपेक्षा	 किसी भी संभावित संयुक्त उद्यम व्यवस्था के संबंध में हमेशा कानूनी या समूह कानूनी M&A टीम से सलाह लें। किसी प्रतिस्पर्धी के साथ संयुक्त उद्यम में, संयुक्त उद्यम के निदेशकों या कर्मचारियों के साथ या संयुक्त उद्यम में नियुक्त कम्पास कार्मिक के साथ कम्पास की प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संवेदनशील जानकारी को साझा या चर्चा न करें - जब तक कि कानूनी रूप से स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया गया हो। किसी संयुक्त उद्यम में नियुक्त कम्पास कार्मिक को उस संयुक्त उद्यम के बारे में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संवेदनशील जानकारी अन्य कम्पास कार्मिकों को तब तक नहीं बतानी चाहिए, जब तक कि कानूनी तौर पर स्पष्ट रूप से इसकी अनुमित न दी गई हो। किसी भी संयुक्त उद्यम जिसमें कम्पास भाग लेता है, को भी उचित अनुपालन नीति का पालन करना आवश्यक होगा।
रेड फ्लैग / चेतावनी संकेत	 किसी प्रतिस्पर्धी के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार करें - क्या यह आवश्यक है कि कम्पास किसी प्रतिस्पर्धी के साथ साझेदारी करना। ऐसा कोई भी सुझाव कि कम्पास किसी संयुक्त उद्यम के आकर्षण का आकलन करने के लिए प्रतिस्पर्धी के साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संवेदनशील जानकारी साझा करना। किसी स्थापित संयुक्त उद्यम के संचालन के दौरान, कोई भी सूचना साझा करना (चाहे आपने उसे दिया हो या प्राप्त किया हो) या संयुक्त गतिविधि जो संयुक्त उद्यम के दायरे से बाहर हो। समुचित जांच से अंतिम लाभकारी स्वामी का पता नहीं चलता है या ऐसा संदेह नहीं है कि यह कोई मुखौटा कंपनी है या किसी ट्रस्ट या नामित निदेशक के पीछे छिपी हुई है।
आपको क्या करने की जरूरत है	 किसी संभावित संयुक्त उद्यम के संबंध में चर्चा करने से पहले कानूनी सलाह लें। यदि चर्चा आरंभ करने के लिए अनुमोदन दिया जाता है तो कानूनी विभाग द्वारा बताए गए प्रोटोकॉल का पालन करें, जिसमें संयुक्त उद्यम साझेदार(ओं) के साथ सूचना-साझाकरण प्रोटोकॉल पर सहमित बनाना भी शामिल है। किसी भी संयुक्त उद्यम समझौते और व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले कानूनी विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। तृतीय-पक्ष सत्यिनष्ठा यथोचित परिश्रम नीति और मार्गदर्शन के अनुसार भुगतान प्राप्त करने/जारी करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों पर तृतीय-पक्ष सत्यिनष्ठा यथोचित परिश्रम का संचालन करें। जहां प्रतिस्पर्धी उपस्थित हों, वहां संयुक्त उद्यम बैठकों से पहले एजेंडा पर सहमित बना लें। एजेंडा पर टिके रहें और बैठक का विवरण रखें। बैठक के कार्य का सटीक रिकार्ड तैयार करने के लिए उपस्थित सभी लोगों से सहमित प्राप्त करें तथा उस पर हस्ताक्षर करवाएं।

धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण और कर चोरी

4-6

सभी प्रकार के अपराध से प्रायः कोई लाभ उत्पन्न होता है (जैसे, मुनाफा कमाना या संपत्ति अर्जित करना), जिसे कभी-कभी अपराध की आय भी कहा जाता है। धन शोधन अपराध की आय को छिपाने या बदलने तथा उसे अपराधियों के हाथों में रखने का प्रयास है। इसमें निर्दोष तीसरे पक्षों द्वारा आपराधिक संपत्ति की प्राप्ति या उसमें लेन-देन भी शामिल है।

आतंकवादी वित्तपोषण में धन या संपत्ति प्राप्त करना या उपलब्ध कराना शामिल है, जहां इसका उद्देश्य आतंकवाद या आतंकवादी संपत्ति के शोधन के लिए संभावित रूप से उपयोग किया जाना हो। यह अक्सर धन शोधन से जुड़ा होता है।

कर चोरी विश्व में कहीं भी कर का अवैध रूप से भुगतान न करना या कम भुगतान करना है। कर चोरी को सुविधाजनक बनाने में जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को कर चोरी करने में मदद करना या अन्यथा उनके कार्यों में भागीदार होना शामिल है।

हमारा सिद्धांत

यदि आप जानते हैं - या आपको उचित रूप से संदेह होना चाहिए - कि कम्पास द्वारा प्राप्त धन या अन्य परिसंपत्तियां (उदाहरण के लिए, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता या संयुक्त उद्यम भागीदार सहित किसी तीसरे पक्ष से) अपराध की आय का गठन करती हैं या आपराधिक या आतंकवादी आचरण से दूषित हैं, या कम्पास एक ऐसी व्यवस्था में शामिल है जिसके तहत धन या अन्य संपत्ति का उपयोग आतंकवादी गतिविधि के लिए किया जाएगा, तो धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण अपराध किए जा सकते हैं।

कम्पास धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण या कर चोरी को बढ़ावा नहीं देता है या उसका समर्थन नहीं करता है।

जोखिम के क्षेत्र

- अपराध की आय से निपटना
- कर चोरी को बढ़ावा देना/कर चोरी को रोकने में विफलता

अपराध की आय से निपटना

जोखिम का क्षेत्र



परिभाषा

आपराधिक या गैरकाननी गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई **संपत्ति को संभालना या उसके संचालन को सुविधाजनक बनाना**, या ऐसी किसी संपत्ति के मृत्य का प्रतिनिधित्व करने वाले धन को संभालना या उसके संचालन को सर्विधाजनक बनाना।

अपेक्षा

- कम्पास कार्मिक:
 - यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्पास को आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त आय प्राप्त न हो, क्योंकि यह एक आपराधिक अपराध हो सकता है;
 - किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक अनुबंध में प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसमें अवैध रूप से अर्जित धन या संपत्ति शामिल हो, या जिसके परिणामस्वरूप आतंकवाद का वित्तपोषण हो; तथा – जानबूझकर किसी ऐसे प्रतिपक्ष से संपर्क नहीं करना चाहिए जो आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हो।
- कभी भी किसी प्रतिपक्ष को यह न बताएं कि किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी को संभावित रेफरल दिया जाएगा या पहले ही दिया जा चुका है, क्योंकि इससे लागू कानूनों का उल्लंघन हो सकता है।

रेड फ्लैग/ चेतावनी संकेत

- भुगतान और/या चालान एक प्रतिपक्ष द्वारा कई रूपों (जैसे, नकद, बैंक हस्तांतरण, चेक) या एकाधिक संस्थाओं में विभाजित होंकर अनुरोधित या भेजे जाते हैं।
- भुगतान और/या चालान, संविदात्मक प्रतिपक्ष के नाम से भिन्न नाम वाली किसी संस्था या व्यक्ति के बैंक खाते से मांगे जाते हैं या बनाए जाते हैं।
- प्रतिपक्ष के व्यवसाय पंजीकरण के बाहर एकाधिक विदेशी बैंक खातों का उपयोग।
- समुचित जांच से अंतिम लाभकारी स्वामी का पता नहीं चलता है या ऐसा संदेह नहीं है कि यह कोई मुखौटा कंपनी है या किसी ट्स्ट या नामित निदेशक के पीछे छिपी हुई है।
- प्रतिपक्ष असामान्य या संदिग्ध दस्तावेजों का उपयोग करता है, तथा विवरण और संदर्भों को आसानी से सत्यापित नहीं किया जा
- प्रतिपक्ष की पृष्ठभूमि उनकी व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए हमारी अपेक्षा से भिन्न है।
- ग्राहक लेन-देन को निपटाने का एक असामान्य या गैर-परम्परागत तरीका सुझाता है।
- धन का उद्गम या कथित उपयोग संगठन के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।
- तीसरे पक्ष को भुगतान देश के बाहर और/या धन शोधन गतिविधि से जुड़े देश में किया जाना है। यह लेन-देन ऐसे देश से संबंधित है जिसका आतंकवाद से घनिष्ठ संबंध है या जहां प्रतिबंधित संगठन सक्रिय हैं।

आपको क्या करने की जरूरत है

- तृतीय-पक्ष सत्यिनिष्ठा यथोचित परिश्रम नीति और मार्गदर्शन के अनुसार भुगतान प्राप्त करने/जारी करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों पर तृतीय-पक्ष सत्यनिष्ठा यथोचित परिश्रम का संचालन करें।
- प्रतिपक्षियों के लेन-देन और गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि इनसे यह संदेह पैदा हो सकता है कि वे धन शोधन में संलिप्त हैं, तथा जितनी जल्दी हो सके कानूनी या समूह नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा से संपर्क करें।
- सुनिश्चित करें कि कम्पास की और से कार्ये करने वाले एजेंटों द्वारा प्राप्त की जाने वाली धनराशि के स्रोत से संबंधित प्रासंगिक जांच पूरी कर ली गई है और समझौते/अनुबंध में उचित धन शोधन विरोधी और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी प्रतिनिधित्व और वारंटियां शामिल हैं।
- धन शोधन के संदेह या इस बात की सूचना कि हम अपराध की आय से संबंधित कार्य कर रहे हैं, अपने देश और क्षेत्रीय महाधिवक्ता को दें, जो आगे चलकर समूह के नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा प्रमुख तक बात पहुंचाएंगे।
- यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्राधिकार या व्यवसाय इकाई विशिष्ट धन शोधन निरोधक नीतियों/प्रक्रियाओं को लागू स्थानीय कानूनों और विनियमों के अनुपालन हेतु आवश्यकतानुसार क्रियान्वित किया जाए।
- नियमित व्यावसायिक जोखिम समीक्षा के भाग के रूप में धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण का आकलन करना तथा जहां प्रासंगिक हो, आवश्यक जोखिम प्रबंधन प्रतिक्रिया योजनाएं विकसित/कार्यान्वित करना।

कर की चोरी

जोखिम का क्षेत्र



कर की चोरी

परिभाषा

कर चोरी को सुविधाजनक बनाना तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को प्रासंगिक कर चोरी का अपराध करने में मदद करता है या अन्यथा उनके कार्य में भागीदार होता है, भले ही ऐसा करने से उन्हें किसी भी तरह से लाभ न हो।

अपेक्षा

- कम्पास कार्मिकः
 - किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कर चोरी में भाग नहीं लेना चाहिए, सलाह नहीं देनी चाहिए या अन्यथा प्रोत्साहित, सहायता या सुविधा प्रदान नहीं करनी चाहिए; तथा
 - कर चोरी के संबंध में कम्पास द्वारा निर्धारित सभी रोकथाम प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा, जिसमें किसी भी लागू प्रशिक्षण को पूरा करना और किसी भी चिंता को उचित रूप से आगे बढ़ाना शामिल है।
- कभी भीं किसी प्रतिपक्ष को यह न बताएं कि किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी को संभावित रेफरल दिया जाएगा या पहले ही दिया जा चुका है, क्योंकि इससे लागू कानूनों का उल्लंघन हो सकता है।

रेड फ्लैग/ चेतावनी संकेत

- भुगतान और/या चालान एक प्रतिपक्ष द्वारा कई रूपों (जैसे, नकद, बैंक ट्रांसफर, चेक) या एकाधिक संस्थाओं के माध्यम से अनुरोध किए जाते हैं या भेजे जाते हैं।
- भुगतान और/या चालान, संविदात्मक प्रतिपक्ष के नाम से भिन्न नाम वाली किसी संस्था या व्यक्ति के बैंक खाते से मांगे जाते हैं या बनाए जाते हैं।
- प्रतिपंक्ष के व्यवसाय पंजीकरण स्थान के बाहर एकाधिक विदेशी बैंक खातों का उपयोग।
- समुचित जांच से अंतिम लाभकारी स्वामी का पता नहीं चलता है या ऐसा संदेह नहीं है कि यह कोई मुखौटा कंपनी है या किसी
 ट्रस्ट या नामित निदेशक के पीछे छिपी हुई है।
- प्रीतिपक्ष असामान्य या संदिग्ध दस्तावेजों का उपयोग करता है, तथा विवरण और संदर्भों को आसानी से सत्यापित नहीं किया जा सकता।
- ग्राहक लेन-देन को निपटाने का एक असामान्य या गैर-परम्परागत तरीका सुझाता है।
- धन का उद्गम या कथित उपयोग संगठन के उद्देश्य के अनुरूप नहीं है।

आपको क्या करने की जरूरत है

- प्रतिपक्षियों के लेन-देन और गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंिक इनसे संदेह हो सकता है कि वे कर चोरी में संलिप्त हैं, तथा जितनी जल्दी हो सके कानूनी या समूह नैतिकता एवं सत्यिनिष्ठा से संपर्क करें।
- मुनिश्चित करें कि कम्पास की ओर से कार्य करने वाले एजेंटों द्वारा प्राप्त की जाने वाली धनराशि पर आय के स्रोत से संबंधित प्रासंगिक जांच पूरी हो गई है और समझौते/अनुबंध में उचित कर-चोरी विरोधी प्रतिनिधित्व और वारंटियां शामिल हैं।
- कर चोरी या कर चोरी में मदद करने या हम अपराध की आय से संबंधित लेन-देन कर रहे हैं, इस संदेह की सूचना अपने देश और क्षेत्रीय महाधिवक्ता को दें, जो आगे चलकर समूह के नैतिकता और सत्यनिष्ठा प्रमुख तक मामला पहुंचाएंगे।
 सुनिश्चित करें कि क्षेत्राधिकार या व्यवसाय इकाई विशिष्ट कर अनुपालन नीतियों/प्रक्रियाओं को लागू स्थानीय कानूनों और
- सुनिश्चित करें कि क्षेत्राधिकार या व्यवसाय इकाई विशिष्ट कर अनुपालन नीतियाँ/प्रक्रियाओं को लागू स्थानीय कानूनों और विनियमों के अनुपालन के लिए आवश्यकतानुसार क्रियान्वित किया जाए। प्रासंगिक न्यूनतम मानकों के अनुपालन और ग्रुप कर रणनीति के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए ग्रुप कर से परामर्श करें।
- नियमित व्यावसायिक जोखिम समीक्षा के भाग के रूप में कर चोरी का आकलन करना तथा जहां प्रासंगिक हो, आवश्यक जोखिम प्रबंधन प्रतिक्रिया योजनाएं विकसित/कार्यान्वित करना।

कम्पास जहां भी काम करती है, अपने व्यवसाय को ईमानदार और नैतिक तरीके से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संस्कृति के भाग के रूप में, सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसमें लागू प्रतिबंध और व्यापार नियंत्रण कार्यक्रम ("प्रतिबंध कार्यक्रम") भी शामिल हैं।

प्रतिबंध कार्यक्रम सरकारों और अंतर-सरकारी संगठनों द्वारा लागू किए जाते हैं, जो कुछ व्यक्तियों, संस्थाओं, क्षेत्रों और/या देशों द्वारा या उनके साथ किए जाने वाले लेन-देन को निषेध या प्रतिबंधित करते हैं। कम्पास विभिन्न घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कार्यक्रमों का अनुपालन करता है। ये कार्यक्रम उन देशों से संबंधित हो सकते हैं जहां हम व्यापार करते हैं, हमारे ग्राहक कौन हैं, हमारे लिए या हमारी ओर से काम करने वाले लोग, हम किस प्रकार लेन-देन करते हैं, तथा हम किन बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं।

कम्पास का उद्देश्य प्रतिबंधों और व्यापार नियंत्रण विनियमों के उल्लंघन के जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए प्रभावी और आवश्यक सावधानियां बरतना है। कम्पास, बिना पूर्व अनुमोदन के, कि भावी लेनदेन लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करता है या कम्पास को अनावश्यक जोखिम में नहीं डालता है, प्रतिबंधित पक्षों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं करता है। प्रतिबंधों या व्यापार नियंत्रणों के अधीन देशों, व्यक्तियों, संस्थाओं, वस्तुओं या सेवाओं के साथ कोई भी गतिविधि केवल तभी हो सकती है जब उचित अनुमोदन, लाइसेंस या छट मौजूद हों।

हमारा सिद्धांत

कम्पास हमारी कंपनी पर लागू सभी प्रतिबंध कार्यक्रमों का सम्मान और पालन करता है। हम प्रतिबंधित व्यक्तियों, संस्थाओं, क्षेत्रों या देशों के साथ व्यापार नहीं करते हैं।

आपको किसी भी परिस्थिति में जानबूझकर किसी भी प्रकार के लेन-देन या वाणिज्यिक संबंध में प्रवेश नहीं करना चाहिए जो संभावित रूप से कम्पास पर लागू प्रतिबंध कार्यक्रमों का उल्लंघन कर सकता हो। इसमें प्रतिबंधित सूची में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं से संबंधित लेन-देन, प्रतिबंधित देशों से संबंधित लेन-देन या प्रतिबंधित क्षेत्रों के साथ निषद्ध लेन-देन शामिल हैं।

जोखिम के क्षेत्र

- नये क्षेत्रों/नये प्रदेशों में प्रवेश करना
- नये तृतीय-पक्ष संबंधों में प्रवेश करना
- मौजदा तीसरे पक्षों पर नए प्रतिबंध/परिसंपत्ति फ्रीज

नये क्षेत्रों/नये प्रदेशों में प्रवेश करना

जोखिम का क्षेत्र	7 प्रतिबंध और व्यापार नियंत्रण
परिभाषा	 किसी ऐसे व्यवसाय की स्थापना जिसमें किसी ऐसे देश में शाखा की स्थापना या कंपनी का निगमन शामिल हो जिसमें कम्पास वर्तमान में पिरचालन नहीं करती है या किसी नए व्यवसाय की शुरूआत या पिरचालन कंपनी के निवास के देश के बाहर किसी क्षेत्र या प्रादेशिक जल में नए अनुबंध में प्रवेश या किसी मौजूदा देश में नए व्यवसाय क्षेत्र/लाइन की शुरूआत। नए क्षेत्रों/क्षेत्रों में प्रवेश से संभावित रूप से प्रतिबंध का खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि संबंधित क्षेत्र/क्षेत्र किसी अन्य क्षेत्राधिकार में प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है, जहां कम्पास परिचालन करती है। इसके अतिरिक्त, नए क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट प्रतिबंध आवश्यकताएं हो सकती हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित करना कम्पास के लिए आवश्यक होगा।
अपेक्षा	– कम्पास सभी प्रतिबंध कार्यक्रमों का सम्मान करता है और उनका पालन करता है तथा प्रासंगिक प्रतिबंधित देशों या क्षेत्रों के साथ व्यापार नहीं करेगा।
रेड फ्लैग/ चेतावनी संकेत	– निम्नलिखित अधिकार क्षेत्रों में या निम्नलिखित अधिकार क्षेत्रों की सीमा से लगे/निकट संबंध रखने वाले नए व्यवसायों पर विशेष प्रतिबंधात्मक जोखिम उत्पन्न हो सकता है: बेलारूस, बुरुंडी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, क्यूबा, क्रीमिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इराक, ईरान, लेबनान, लीबिया, निकारागुआ, उत्तर कोरिया, रूस, सोमालिया, सूडान, दक्षिण सूडान, सीरिया, यूक्रेन, वेनेजुएला, यमन, जिम्बाब्वे।9
आपको क्या करने की जरूरत है	 नए देशों, क्षेत्रों या सेक्टरों में प्रवेश के संबंध में GAM का पालन करें। किसी प्रतिबंधित देश या क्षेत्र से जुड़े किसी व्यक्ति या संस्था के साथ कोई भी लेन-देन करने से पहले संबंधित देश या क्षेत्रीय महाधिवक्ता और नैतिकता एवं अखंडता के समूह प्रमुख से उचित अनुमोदन प्राप्त करें।

^{9.} कृपया नवीनतम उच्च/अति उच्च जोखिम वाले देशों की सूची के लिए समूह नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा से परामर्श लें।

नये तृतीय पक्ष संबंधों में प्रवेश करना

जोखिम का क्षेत्र	7 प्रतिबंध और व्यापार नियंत्रण
परिभाषा	 नए तृतीय-पक्ष संबंधों में प्रवेश करने से संभावित प्रतिबंधात्मक जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंिक ये तृतीय पक्ष प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं या प्रतिबंधों के अधीन व्यक्तियों/संस्थाओं के स्वामित्व/नियंत्रण में हो सकते हैं। प्रतिबंधों के अधीन तीसरे पक्ष भी प्रतिबंधों की आवश्यकताओं को दरिकनार करने के लिए कम्पास से इस तथ्य को छिपाने का प्रयास कर सकते हैं। तृतीय पक्षों में ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार/उपठेकेदार, वे संगठन जिनके साथ हम साझेदारी करते हैं (जैसे संयुक्त उद्यम साझेदार, अधिग्रहण और विनिवेश लक्ष्य), सलाहकार (व्यावसायिक, वित्तीय, कानूनी और लॉबिस्ट), मध्यस्थ, वितरक, एजेंट और अन्य सभी संविदात्मक प्रतिपक्ष शामिल हैं।
अपेक्षा	 सभी नए तृतीय पक्षों को GAM के परामर्शदाता और सलाहकार अनुभाग के अनुसार प्रतिबंध सूची के विरुद्ध तथा तृतीय पक्ष सत्यिनिष्ठा उचित परिश्रम नीति और मार्गदर्शन आवश्यकताओं के अनुसार जांचा जाना चाहिए।
लाल झंडे/ चेतावनी संकेत	 प्रतिबंधों द्वारा लिक्षत किसी व्यक्ति या संस्था से संबद्ध या संबद्ध तीसरा पक्ष। तृतीय पक्ष की स्थापना हाल ही में हुई है और इसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हैं, तथा यह स्पष्ट नहीं है कि यह वित्तीय संसाधन इसके पास कैसे आए। तीसरे पक्ष की कॉर्पोरेट संरचना में अपतटीय क्षेत्राधिकार में स्थित एक होल्डिंग कंपनी शामिल होती है। तीसरा पक्ष माल या सेवाओं के उपयोग से परिचित नहीं है और/या कोई वाणिज्यिक या तकनीकी प्रश्न नहीं पूछता है जो आमतौर पर व्यापारिक वार्ता के दौरान पूछा जाता है। भृगतान की शर्तें या भुगतान का तरीका असामान्य है (उदाहरण के लिए, तीसरा पक्ष तुरंत नकद में बड़ी राशि का भुगतान करने को तैयार है (गैर-बेंक हस्तांतरण))।
आपको क्या करने की जरूरत है	 तृतीय-पक्ष सत्यिनिष्ठा यथोचित परिश्रम नीति और मार्गदर्शन के अनुसार सभी नए और मौजूदा तृतीय पक्षों के लिए तृतीय-पक्ष सत्यिनिष्ठा यथोचित परिश्रम का संचालन करें। प्रतिबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं से अपने संबंध को छिपाने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा किए जाने वाले संभावित प्रयासों के प्रति सतर्क रहें। सुनिश्चित करें कि तीसरे पक्ष के साथ सभी लिखित अनुबंधों में व्यापार प्रतिबंधों से संबंधित कानूनों सहित सभी लागू कानूनों का अनुपालन करने की आवश्यकता शामिल हो।

मौजूदा तीसरे पक्षों पर नए प्रतिबंध/परिसंपत्ति फ्रीज

जोखिम का क्षेत्र प्रतिबंध और व्यापार नियंत्रण कुछ अवसरों पर, मौजूदा तृतीय पक्ष कम्पास के साथ अपने संबंधों के दौरान प्रतिबंधों/परिसंपत्ति फ्रीज के अधीन हो सकता है। परिभाषा इससे यह जोखिम पैदा होता है कि कम्पास अनजाने में प्रतिबंधों का उल्लंघन कर सकता है. क्योंकि वह ऐसे लेनदेन को जारी रख सकता है जो प्रगति के दौरान प्रतिबंधित हो गया है। किसी तीसरे पक्ष से संबंधित किसी भी लेन-देन को, जिसे लेन-देन के दौरान किसी भी समय प्रासंगिक क्षेत्राधिकार द्वारा प्रतिबंधित कम्पास नियम कर दिया जाता है, तत्काल रोक दिया जाना चाहिए तथा संबंधित परिसंपत्तियों/निधियों को जब्त कर लिया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी प्रतिबंधित व्यक्ति, संस्था, देश या क्षेत्र से संबंधित संभावित लेनदेन के विवरण को संपादित या छिपाएं नहीं, जिससे कि इस नीति का उल्लंघन हो सके। कोई तीसरा पक्ष किसी लेनदेन में अचानक या अस्पष्टीकृत परिवर्तन कर देता है। रेड फ्लैग/ कोई तीसरा पक्ष किसी लेनदेन को शीघ्र पूरा करने के लिए अनुचित या अनुपातहीन दबाव डालता है। चेतावनी संकेत तीसरा पक्ष अनुरोध करता है कि किसी लेन-देन के महत्वपूर्ण विवरण को प्रमुख दस्तावेजों में छोड़ दिया जाए या छुपा दिया जाए। किसी लेन-देन में शामिल बैंक उस लेन-देन को रोक देता है या संसाधित करने से इनकार कर देता है। तृतीय-पक्ष सत्यनिष्ठा समुचित परिश्रम नीति और मार्गदर्शन के अनुसार शामिल किए गए तृतीय पक्षों पर सतत और नियमित आपको क्या करने निगरानी करना, ताकि पता लगाया जा सके कि उन पर प्रतिबंध लगाया गया है या नहीं। की जरूरत है यदि आपको पता हो या संदेह हो कि संबंधित तृतीय पक्ष प्रासंगिक प्रतिबंधों के अधीन हो गया है तो किसी भी परिस्थिति में लेनदेन जारी न रखें। इसमें किसी तीसरे पक्ष से कोई भूगतान प्राप्त करना या उसे कोई भूगतान करना, या किसी भी तरह से उनकी परिसंपत्तियों से निपटना शामिल है। आपको तुरंत देश और क्षेत्रीय महाधिवक्ता को सूचित करना चाहिए, जो बदले में, किसी तीसरे पक्ष से संबंधित किसी भी लेनदेन के बारे में नैतिकता और अखंडता के समृह प्रमुख को सुचित करेंगे, जिससे कि वे उचित अगले कदम निर्धारित कर सकें।

अग्रिम जानकारी

इस नीति का अनुपालन

आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इस नीति को पढ़ें, समझें और उसका अनुपालन करें तथा इसके संबंध में सभी अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा करें। आपको ऐसी किसी भी गतिविधि या व्यवहार से बचना चाहिए जो इस नीति के उल्लंघन का कारण बन सकती है या इसका सुझाव दे सकती है, जो बदले में लागू व्यावसायिक अखंडता कानूनों का पालन न करने का कारण बन सकती है और यह एक आपराधिक अपराध हो सकता है।

कम्पास में प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह इस नीति के संभावित उल्लंघनों की रिपोर्ट करे। कम्पास सभी चिंताओं की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करता है तथा इसके परिणामस्वरूप पत्रकारों को नुकसान या प्रतिशोध से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यदि आपको इस नीति के उल्लंघन का पता है या संदेह है, तो आप अपने प्रबंधक या इकाई प्रबंधक, अपने स्थानीय मानव संसाधन प्रबंधक या लिसन अप चैंपियन, अपने देश, क्षेत्रीय या समूह कानूनी टीम के सदस्य, या समूह नैतिकता और अखंडता के सदस्य के साथ अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं।

कम्पास कार्मिक और हमारे व्यापारिक साझेदार मार्गदर्शन प्राप्त करने और/या इस नीति के अनुपालन न करने की किसी भी चिंता की रिपोर्ट करने के लिए हमारे गोपनीय वैश्विक व्हिसलब्लोइंग और रिपोर्टिंग कार्यक्रम स्पीक अप, वी आर लिसनिंग यानी आप बोलें, हम सुन रहे हैं का भी उपयोग कर सकते हैं।

निगरानी और समीक्षा

इस नीति की कम्पास समूह कार्यकारी समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

कम्पास कार्मिकों को इस नीति पर टिप्पणी करने तथा इसमें सुधार के तरीके सुझाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। टिप्पणियाँ, सुझाव और प्रश्न समूह नैतिकता एवं सत्यिनष्ठा पोर्टल पर 'प्रश्न पूछें' फ़ंक्शन का उपयोग करके प्रस्तुत किए जाने चाहिए।



मिश्रित

यह नीति किसी भी कम्पास कार्मिक के रोजगार अनुबंध का हिस्सा नहीं है, और हम इसे किसी भी समय संशोधित कर सकते हैं।

इस नीति को कम्पास ग्रुप कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

Dominic_

डोमिनिक ब्लेकमोर समृह मुख्य कार्यकारी, कम्पास ग्रुप PLC